सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

07 नवम्बर, 2023

सप्तदश विधान सभा मंगलवार, तिथि 07 नवम्बर, 2023 ई०

दशम सत्र 16 कार्तिक,1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गए)

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें । आपको मौका हम देंगे, अजय जी को पढ़ लेने दीजिए । माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपको मौका हम देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी, आप स्थान ग्रहण करें ।

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप स्थान ग्रहण करें, आपको हम समय देंगे । आप स्थान ग्रहण करें ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गए)

(व्यवधान)

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''दिनांक- 06 नवम्बर, 2023 के कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : पहले इसको हो जाने दीजिए ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''दिनांक- 6 नवम्बर, 2023 के कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हो ।''

समिति ने निम्न सिफारिशें की हैं :-

1. मंगलवार, दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के लिए निर्धारित राजकीय कार्य के अन्तर्गत जाति गणना से संबंधित सरकार के प्रतिवेदन की प्रस्तुति हो,

2. बुधवार, दिनांक 08 नवम्बर, 2023 के लिए निर्धारित राजकीय विधेयक एवं राजकीय कार्य अब वृहस्पतिवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2023 को लिए जाएँ,

3. वृहस्पतिवार, दिनांक 09 नवम्बर, 2023 को निर्धारित वित्तीय वर्ष 2023-24 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद-विवाद, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक, अब बुधवार, दिनांक 08 नवम्बर, 2023 को लिए जाएँ,

4. शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रतिवेदन पर सभा की सहमति हुई ।

प्रश्नोत्तर काल

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, अपना-अपना स्थान ग्रहण करें ।

माननीय नेता विरोधी दल । आपलोग अपने जगह पर जाइये । नेता विरोधी दल, आप अपने सदस्यों को अपने स्थान पर भेजवाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में आंगनबाड़ी सेविकाओं को मात्र 1450 रू0 मानदेय दिया जा रहा है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, यह शोभा नहीं देता है । संसदीय प्रणाली में वेल में खड़ा हो जाना, यह संसदीय व्यवस्था को तोड़-मरोड़ करने की नियत है । सदन को चलने दें, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आज सेविका-सहायिका पर लाठी चार्ज और पूरी इस तरह से मानदेय बिहार सरकार क्यों नहीं बढ़ा रही है । आज सरकार को जवाब देना चाहिए....

अध्यक्ष : पहले आप अपने सदस्यों को बैठाइये, अपनी सीट पर आवें । बैठाइये । यह आपकी जिम्मेवारी बनती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : एक मिनट आइये । महोदय, सरकार जवाब दे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं । माननीय सदस्यगण, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष को हम बोलने दे रहे हैं । उनको मौका दिये हैं, वे खड़े हैं ।

(इस अवसर पर वेल से माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर चले गए)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, सरकार का अत्याचार, चाहे आज लॉ एण्ड ऑर्डर का मामला हो, थाना के सामने हत्या हो जाती है । आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका पर लाठी चार्ज होता है । अगर कोई अपना आवाज उठाता है तो उसकी आवाज बंद करने का सरकार प्रयास करती है ।

सरकार को जवाब देना चाहिए कि जब सब स्टेट में मानदेय ज्यादा है तो फिर बिहार सरकार यहाँ मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही है ? अध्यक्ष महोदय, सरकार को जवाब देने के लिए कहा जाय ।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, अब आप स्थान ग्रहण करें । अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

नहीं, अभी जवाब कैसे दिलवाया जाय ? माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद । माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण पुनः वेल में आ गए)

(व्यवधान)

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-1 (श्री सुदामा प्रसाद, क्षेत्र संख्या-196 तरारी)</u>

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि शैक्षणिक गुणवत्ता तथा पठन-पाठन की गतिविधि सुचारू करने के उद्देश्य से 75 प्रतिशत उपस्थिति पहले से अनिवार्य थी ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : दबाव देकर आसन से नियम के विरूद्ध आप कोई फैसला नहीं ले सकते हैं । इसलिये आप अपने स्थान को गहण करें । माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी ।

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : हालांकि निरीक्षण से यह तथ्य सामने आया कि डी0बी0टी0 अथवा अन्य राज्य प्रायोजित लाभकारी योजनाओं का लाठा उठाने के लिए एक ही छात्र अधिक जगहों पर नामांकन करवाये हुए थे । अतः इन छात्रों का नाम काटने के पूर्व इनके अभिभावकों के साथ बैठक की गई एवं छात्रों की उपस्थिति में कोई सुधार नहीं देखते हुए उन्हें नोटिस देकर नाम काटा गया । फिर भी विभाग ने यह सुविधा प्रदान की है कि नाम काटने के बाद जो अभिभावक शपथ पत्र देते हैं कि छात्र अब नियमित विद्यालय आएगा तथा अन्य जगह नामांकन नहीं है तो पुनः उसे विद्यालय में नामांकन किये जाने की व्यवस्था की गई है । किसी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी ।

श्री सुदामा प्रसाद : धन्यवाद, सर ।

अध्यक्ष : बहुत धन्यवाद ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-2 (श्री अखतरूल ईमान, क्षेत्र सं0-56 अमौर)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान जारी)

आप स्थान ग्रहण कर लीजिए । सरकार समय पर जवाब देगी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने विषय को उठा दिया है ।

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : महोदय, इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहाँ पाँच सौ से अधिक पुस्तकें होंगी, वहाँ एक पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपनी जगह लीजिए । समय पर सरकार जवाब देगी । अभी प्रश्नकाल है, आपलोगों का भी इसमें प्रश्न है । इसलिये आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्षों के 2789 स्वीकृत पद के विरूद्ध उपलब्ध रिक्त पदों की संख्या-893 है ।

इस क्रम में अंकित करना है कि पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पद का सृजन वर्ष 2007 में हुआ था । इस पद के नियोजन की कार्रवाई वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई, जो वर्ष 2019 में पूर्ण हो चुकी है ।

बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठित होने के उपरांत पूर्व की नियमावली के आलोक में कोई नियुक्ति नहीं की जानी है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस तरह का आचरण न करें । ऐसा आचरण नहीं करें । प्रश्नकाल को चलने दें । नेता प्रतिपक्ष ने जो प्रश्न उठाया है, समय पर सरकार जवाब देगी ।

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति से संबंधित नई नियमावली गठित होने के उपरांत ही प्रारम्भ की जा सकेगी ।

उच्च शिक्षा के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में लाईब्रेरियन के पद तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत गैर-शैक्षणिक पद हैं । बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में वर्ग-3 के कर्मियों के नियोजन के लिए सुसंगत प्रावधान में संशोधन किया जा चुका

है कि वर्ग-3 के पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयोग के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूर्ण कराया जाएगा ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य प्रेम कुमार जी, आप बड़े ही पुराने सदस्य हैं, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : उक्त के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसके द्वारा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों से लाईब्रेरियन/सहायक पुस्तकाध्यक्ष/पुस्तकालय सहायक जैसे तृतीय श्रेणी के सृजित पदों की सूचना एवं संबंधित अभिलेख के साथ सॉफ्टवेयर पर अपलोड करने का निदेश दिया गया है । सभी विश्वविद्यालयों से सूचना संग्रहित होने के उपरांत उक्त पदों पर रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए नियुक्ति की जा सकेगी ।

(व्यवधान जारी)

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक तो लोकहित के सवालों पर सदन में व्यवधान पैदा हुआ है जिसके कारण सारी बातें सुनने में नहीं आ रही हैं । मैं माननीय मंत्री को साधुवाद देना चाहता हूँ कि इस वक्त शिक्षकों की बहाली हो रही है लेकिन यह क्या मापदंड है कि किसी स्कूल में 500 पुस्तक होंगे तब लाइब्रेरी बनेगी ? यह तो सरकार की जिम्मेदारी है । अगर पठन-पाठन और गरीबों के बच्चों को सरकार पढ़ाना चाहती है तो कम से कम एक-एक स्कूल में 5000 किताबें होनी चाहिए । 500 से कम किताबें होंगी तो लाइब्रेरियन बहाल नहीं करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य अखतरूल ईमान साहब, सरकार जवाब दे रही है । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

(व्यवधान जारी)

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट है कि कितने पुस्तकों पर हम लाइब्रेरियन देंगे । जहाँ तक लाइब्रेरियन के नियुक्ति से संबंधित मामला है, माननीय सदस्य इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, आपके प्रश्न में स्पष्ट है, मैंने उत्तर में बताया है कि सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, रोस्टर क्लीयर करके बहाली की जायेगी ।

टर्न-2/आजाद/07.11.2023

(व्यवधान)

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट तौर पर चूँकि हाऊस कंट्रोल में नहीं है, मैं दो-तीन बातें माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ .....

अध्यक्ष : नहीं । आपने जो प्रश्न पूछा, उसका सही-सही जवाब माननीय मंत्री जी के द्वारा दे दिया गया । इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अखतरूल ईमान : नहीं सर । तीन खंडों में मामला है सर, इनको परमानेंट कब किया जायेगा, इसका कोई जवाब नहीं आया सर, ये तो लोकहित के सवालों की अनदेखी हो रही है सर । कब किया जायेगा इनको परमानेंट ?

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल सका ?

अध्यक्ष : आपके सवाल का जवाब मिल चुका है । माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सवाल किया है, ध्यानाकृष्ट किया है । उसपर बोलने के लिए मैंने संसदीय कार्य मंत्री को खड़ा कराया हूँ । आप पहले सब लोगों को बैठाईए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम सरकार की तरफ से आपसे और सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने नियम, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमयावली जो है, उसमें सभी तरह के मुद्दे को उठाने के लिए नियम और तरीके दिये हुए हैं । अगर विपक्ष के माननीय सदस्य या नेता उठायेंगे तो हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए सरकार तैयार है । चाहे कोई प्रश्न हो, विधिवत उठाये, सरकार तैयार है किसी भी प्रश्न का किसी भी मुद्दे पर सरकार जवाब देने के लिए ।

अध्यक्ष : अब आपलोग अपनी-अपनी जगह लीजिए । अब आपलोग अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए । समय पर बात उठाईयेगा, सरकार आपके उठाये गये सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है । आपलोग स्थान ग्रहण कीजिए ।

माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-3 (श्री प्रेम कुमार, क्षेत्र सं0-230,गया टाऊन)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-4 (श्री संजय सरावगी,क्षेत्र सं0-83,दरभंगा)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : माननयी सदस्य श्री संजय सरावगी जी प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न सं0-5 (श्रीमती शालिनी मिश्रा,क्षेत्र सं0-15,किसरिया)

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के विश्वविद्यालयों/संस्थानों से दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2023 तक की अवधि में स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं

का मार्च, 2023 तक कुल 1,61,888 आवेदन मुख्यमंत्री बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना से संबंधित पोर्टल पर प्राप्त हुआ है, जिसमें से 1,46,790 छात्राओं का प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो चुका है । शेष 15,098 छात्राओं का भुगतान एक सप्ताह में कर दिया जायेगा । सितम्बर माह में पोर्टल medhsoft.bih.nic.in खोले जाने पर कुल 50,475 छात्राओं का आवेदन प्राप्त हुआ है, उन आवेदनों में अंकित खाता संख्या, आधार नं0 आदि का सत्यापन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है । सत्यापनोपरांत भुगतान की कार्रवाई की जायेगी ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को इतने सारे भुगतान करने के लिए धन्यवाद देते हुए यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार का हर पोर्टल पर एक समय सीमा तय है, एक टाईम लाईन तय है तो प्रोत्साहन राशि पे करने की समय सीमा सरकार के द्वारा क्या है और बची हुई लोगों को जो लगभग 65हजार छात्राओं की है, वह कब तक भुगतान करा देंगे ?

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : महोदय, अभी आवेदन आया है पोर्टल पर, शीघ्र भुगतान करा देंगे महोदय ।

अध्यक्ष : शीघ्र कराईयेगा, शीघ्र । श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-4 (श्री अरूण शंकर प्रसाद,क्षेत्र सं0-33,खजौली)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

आपने कहा, उसका जवाब दे दिये, अब आप क्या जानना चाहते हैं ? माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपने माननीय सदस्यों को बैठने के लिए कहिए, वे लोग बैठेंगे तो आप कहेंगे तो आपकी बात को सुना जायेगा । अव्यवस्थित तरीके से सदन में आपको बोलने की इजाजत मैं कैसे दे सकता हूँ ? क्या आप प्रोत्साहित कर रहे हैं इन लोगों को ?

(व्यवधान जारी)

नहीं-नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप बैठाईए इन लोगों को ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री कुंदन कुमार ।

तारांकित प्रश्न सं0-01(श्री कुंदन कुमार,क्षेत्र सं0-146,बेगूसराय)

(प्रश्न नहीं पूछा गया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती प्रतिमा कुमारी । माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग ।

तारांकित प्रश्न सं0-02 (श्रीमती प्रतिमा कुमारी,क्षेत्र सं0-127,राजापाकर(अ0जा0)

श्री मदन सहनी, मंत्री(लिखित उत्तर) : विभागीय अधिसूचना सं0-3257 दिनांक 30.06.2023 के द्वारा श्रीमती सुनीता कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हाजीपुर सदर, हाजीपुर को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सहदेई बुजुर्ग का अतिरिक्त प्रभार

दिया गया है । जिनके द्वारा प्रखंड में सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से किया जा रहा है और जनता को योजनाओं का लाभ मिल रहा है ।

समाज कल्याण विभाग के पत्रांक-2535 दिनांक 17.05.2023 के द्वारा 10 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजी गई है, जिसके आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-9831 दिनांक 25.05.2023 के द्वारा नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है । बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत रिक्त प्रखंड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियमित पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती प्रतिमा कुमारी ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : सर, बी0पी0एस0सी0 के द्वारा माननीय सदस्या का राजापाकड़ में रिक्त जो जगह है, वहां पर पदस्थापन करेंगे और शेष जो अन्य जगहों पर भी पहले सदन में माननीय सदस्यों के द्वारा रिक्त जगहों पर प्रश्न किये गये हैं, उसको भी हमलोग प्राथमिकता के आधार पर उस जगह पर सत्र समाप्ति के उपरांत पदस्थापन करेंगे और माननीय सदस्या के यहां भी हमलोग जल्द से जल्द कर देंगे ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : धन्यवाद सर ।

अध्यक्ष : आप चाहते नहीं है कि सरकार कुछ करे, अगर आप कुछ चाहते हैं तो आप अपनी जगह पर जाकर कहिए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्या श्रीमती मंजू अग्रवाल । माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग ।

तारांकित प्रश्न सं0-03(श्रीमती मंजू अग्रवाल,क्षेत्र सं0-226,शेरघाटी)

श्री मदन सहनी, मंत्री : महोदय, यह शिक्षा विभाग का है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्रशेखर, मंत्री : इसपर समय चाहिए महोदय ।

अध्यक्ष : अब सदन की कार्यवाही 12.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

......

टर्न-3/शंभु/07.11.23

(स्थगन के उपरान्त)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी । माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 07 नवम्बर, 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है । श्री विजय कुमार खेमका, श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री मिश्री लाल यादव, श्री पवन कुमार जायसवाल, श्री जनक सिंह, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री विरेन्द्र कुमार । आज राज्य की जाति जनगणना से संबंधित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है । अत: बिहार विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, बिहार के अंदर लॉ ऐंड ऑर्डर पर है कई हत्याएं हुई हैं ।

अध्यक्ष : बैठा जाय । माननीय सदस्यों का सात कार्य-स्थगन प्रस्ताव है, हालांकि नियमानुकूल नहीं है और मैंने उसको अमान्य किया है, फिर भी मैं चाहूंगा कि श्री विजय कुमार खेमका जी अपना कार्य-स्थगन प्रस्ताव जो दिये हैं उसको पढ़ें । श्री विजय कुमार खेमका जी सदन में नहीं हैं । श्री अरूण शंकर प्रसाद जी पढ़ें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-98 के तहत प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य में हत्या, लूट, बलात्कार, चोरी एवं डकैती की घटना में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण लोग दहशत में हैं । राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गयी है । सरकार इस विषय पर आज के लिए सूचीबद्ध कार्यों को रोक कर सदन में चर्चा करावे । महोदय, राज्य भर में चोरी, डकैती और हत्या का सिलसिला.....

अध्यक्ष : आपने कार्य स्थगन पढ़ दिया अब स्थान ग्रहण कीजिए । अब श्री जनक सिंह पढ़ें- चले गये, जाइये । श्री केदार प्रसाद गुप्ता- नहीं हैं । अब श्री विरेन्द्र कुमार- नहीं हैं । अब श्री मिश्री लाल यादव पढ़िये । आपके पास भी नहीं है । देने के लिए देते हैं और कागज ही नहीं है, संसदीय व्यवस्था में कितनी सिंसियरिटी जनहित में आपकी है यह मैं समझ गया । अब श्री पवन कुमार जायसवाल जी पढ़िये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य में 1 लाख 20 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है जिसमें 78 हजार नियोजित शिक्षक और 20 हजार से अधिक राज्य के बाहर के अभ्यर्थी हैं, 10 से 15 हजार की ही नयी भर्त्ती हुई है ।

नियोजित शिक्षकों को नये दिये गये पदों का मूल रिक्तियों में जोड़कर पुनः रिजल्ट की दूसरी सूची निर्गत करने संबंधी विचार-विमर्श हेतु मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना देता हूँ ।

अध्यक्ष : ठीक है, स्थान ग्रहण किया जाय । अब शून्यकाल लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष, बोलिये । नेता प्रतिपक्ष को सुना जाय कि कितनी गंभीर बात बतला रहे हैं । इनके गंभीर बात को सुनना बहुत जरूरी है । कहा जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : अध्यक्ष संरक्षक होता है ।

अध्यक्ष : गंभीर चीज बतलाइये, गंभीर बात बतलाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : महोदय, आज पटना राजधानी के बगल में बिक्रम में थाने से निकलते हुए उसकी हत्या कर दी गयी और बालू माफिया खुलकर के दो सौ राउंड गोली चलाता है । ये पहली बार नहीं एक बार तो हजार राउंड गोली चला कई दर्जन लोग घायल हुए और मरे महोदय । आज दरभंगा के अंदर जहरीली शराब- शराब बन्दी है और जहरीली शराब से अभी लोग हाल फिलहाल पीकर मरे हैं- भ्रष्ट पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं महोदय ?

अध्यक्ष : बैठा जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : महोदय, मैं इसपर सरकार का जवाब चाहता हूँ । संसदीय कार्य मंत्री जी सिर्फ घुमाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब दें गृह विभाग उनके जिम्मे हैं ।

अध्यक्ष : सारी चीजों पर सरकार तैयार रहती है जवाब देगी । अब आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : मुख्यमंत्री जवाब दें ये हत्या, लूट, बलात्कार का आखिर कब तक ।

अध्यक्ष : इसीलिए तो आपको समय दिया अब बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : महोदय, गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री के जिम्मे है अब कितनी लाशों पर सरकार की भूख मिटेगी, कितने लोगों की मौत पर सरकार लॉ ऐंड आर्डर सुधारेगी ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, कहें ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें कही है उसपर आसन नियमन देगा, सरकार उसका अनुसरण करेगी उसके बारे में कुछ नहीं कहना है । लेकिन उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री केवल घुमाते हैं । महोदय, हम तो मानते हैं कि बिहार विधान सभा में....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप घुमाते नहीं हैं जनहित के कार्यों में विशेष रूचि लेते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, हम तो अपनी भावना कह रहे हैं कि हमारा जो अनुभव है और हमारा जो अहसास है कि बिहार विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष का आसन और कुर्सी इतनी हल्की और कमजोर नहीं होती है कि किसी के घुमाने से घूम जाय और दूसरी बात- हुजूर, मेरी कोई दूसरा सुनता नहीं है आसन भी नहीं सुनेगा तो हम किसको कहेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री सरकार की बातों को आसन गंभीरता से सुनता है और गंभीरता से लेता भी है ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, दूसरी बात जो हमें कहनी है कि किसी को भी नेता प्रतिपक्ष तो बहुत ऊंचे आसन वाले लोग होते हैं, माननीय सदस्य या किसी आम नागरिक को भी कोई अगर घुमाने की कोशिश करता है तो ये तो कोशिश करने वाले की बात होती है, लेकिन जिसपर कोशिश करता है........देखिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : राघवेन्द्र बाबू, आप पुराने सदस्य हैं बैठिए । आसन को कोई घुमा नहीं सकता । प्रेम बाबू जगह लीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, हम अपनी बात पूरी करें कि इनलोगों के घूमने में रह जाएं ।

अध्यक्ष : आप अपनी बात पूरी करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी को कोई घुमाना चाहता है ये तो अलग बात है, लेकिन हम घूमें कि नहीं किसी के घुमाने से ये तो दूसरे के हाथ की बात होती है । महोदय, दूसरी बात है लेकिन फिर आप उन्हीं की तरफ देखने लगे ।

अध्यक्ष : नहीं-नहीं आपकी तरफ देख रहा हूँ ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, सरकार को न कोई एतराज है न होगा । आप बराबर उनसे मुखातिब होते रहते हैं और हमलोग कहीं पीछे छूट जाते हैं । महोदय, दूसरी बात हम कह रहे थे.......अरे मत घूमिए भाई, कहां घुमाने की बात हो रही है, कभी मत घूमिए ।

अध्यक्ष : आप शांति बनाएं रखें ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, दूसरी बात कि इनको घुमाने से चक्कर जो महसूस होता होगा हमको लगता है कि सरकार की उपलब्धियों से ये बराबर चकरा जाते हैं। इसीलिए इनको घुर्नी लगती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब साहब, देंगे, देंगे बैठिए । आप क्या कहना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष ?

टर्न-4/पुलकित/07.11.2023

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी बड़े विद्वान और गंभीर आदमी हैं । इनकी मुस्कुराहट चेहरा देखकर होती है और ये जलेबी की तरह घुमाते हैं । यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि यहां पर जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बैठते थे तब कहते थे और अध्यक्ष महोदय आपकी जगह आसन पर हम बैठे रहते थे । महोदय, संयोग से उप मुख्यमंत्री जी अभी आ भी गये हैं और ये भी इनके चक्कर में घूमते रहते थे । महोदय, आज ये जिस तरह से घुमा रहे हैं, बरगला रहे हैं, जवाबदेही, जिम्मेदारी निर्वहन करने के बजाय संसदीय कार्य मंत्री हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी में है । महोदय, आज थाने के सामने हत्या हो जाए, सैकड़ों राउंड गोली चले...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : आज जहरीली शराब से मरे....

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : उस पर जवाब देने के बजाय सदन का समय बर्बाद करे, यह कतई उचित नहीं है ।

अध्यक्ष : आप बहुत सुनाए, बहुत कहें । अब स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य श्री भाई वीरेंद्र ।

श्री भाई वीरेंद्र : हुजूर, मैं दो मुद्दे के लिए खड़ा हुआ हूँ । एक तो सदन में ये एन0डी0ए0 के लोग स्वच्छता अभियान का ढोल पीटते हैं और कूड़ा-करकट सदन के अंदर गिराने का काम कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष अब आप स्थान ग्रहण कीजिए । अब आप बोलिये ।

श्री भाई वीरेंद्र : हुजूर, मैं दो ही बात बोलना चाहता हूँ । महोदय, ये एन0डी0ए0 के लोग यानी भाजपा के लोग स्वच्छता अभियान का ढोल पीटते हैं और देखिये यहां क्या हाल है स्वच्छता अभियान का ?

(व्यवधान)

दूसरी बात यह है कि सदन में जो सुरक्षा प्रहरी है । उनके साथ इन लोगों ने बल प्रयोग किया है, मारपीट की है ।

अध्यक्ष : भाई वीरेंद्र जी अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए । अब शून्यकाल लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

शून्यकाल

श्री मनोज मंजिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला के मुफस्सिल थाना अंतर्गत 11 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी अभिमन्यु कुमार सिंह को स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलाकर पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष आप स्थान ग्रहण कीजिए । अब आप मत कहिये कि आपको समय नहीं मिला । आप बैठ जाइये । आप सभी लोगों का शून्यकाल है । मैं सभी शून्यकाल की सूचना को पढ़वाऊंगा ।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण कर लीजिए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण वेल में आ गये)

आप क्या कर रहे हैं ? माननीय सदस्यगण, एक आवश्यक सूचना है । माननीय सदस्यगण, आज सदन में कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों के द्वारा मुझे शिकायत मिली है कि उनके कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान दो माननीय सदस्य क्रमशः श्री प्रमोद कुमार, क्षेत्र संख्या-19 (मोतिहारी) एवं श्री आलोक रंजन, क्षेत्र संख्या-75 (सहरसा) ने सुरक्षा कर्मियों पर पैर से उनके शरीर पर प्रहार किया और उन्हें गालियां भी दी । यह किसी भी रूप में शोभनीय नहीं है । मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों माननीय सदस्य भविष्य में ऐसे आचरण से परहेज करेंगे । मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में सभी माननीय सदस्य ऐसे आचरण से परहेज करेंगे नहीं तो बाध्य होकर नियमानुकूल मुझे कार्रवाई करनी होगी ।

माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम ।

श्री सत्यदेव राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य की आंगनबाड़ी सेविका-सहायिका एक महीना से ज्यादा समय से हड़ताल पर है । फलतः आंगनबाड़ी केंद्र के बंद रहने के चलते बच्चे-गर्भवती महिलाओं का पोषण कार्य प्रभावित हो रहा है ।

अतः सरकार मानदेय दोगुनी करते हुए उन्हें पूर्णकालिक कर्मी का दर्जा देने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी आप बैठ जाइये । श्री मुकेश कुमार यादव ।

श्री मुकेश कुमार यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को प्रतिमाह जो मानदेय दिया जा रहा है वह दूसरे राज्यों जैसे झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ से कम है । साथ ही मानदेय दैनिक-मजदूरी से भी कम है ।

अत: 20000/- सेविका एवं 15000/- सहायिका को प्रतिमाह मानेदय देने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य श्री इजहारूल हुसैन का शून्यकाल नियमानुसार नहीं रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है ।

माननीय सदस्या श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एन0एच0एम कार्यक्रम के तहत पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में वर्ष 2010 से कार्यरत प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक (बी0सी0एम0) से प्रखंड स्तरीय सारे सामुदायिक कार्यक्रमों का मूल्यांकन, अनुश्रवण, प्रबंधन इत्यादि का कार्य लिया जा रहा है ।

अत: इनका पदनाम प्रखंड सामुदायिक पदाधिकारी (बी0सी0ओ0) करने की मांग करती हूँ ।

श्री महानंद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अरवल प्रखण्ड के सकरी गांव में खाता-205, प्लॉट-991 पर मुसहर जाति के भूमिहीनों, रामपुरचौरम के खाता-917, प्लॉट-177 जमीन पर दशकों से 8 गरीब परिवार बसे हैं । इन्हें इंदिरा आवास भी मिला है । दोनों गावों के बसे महादलित/गरीबों को वासगीत पर्चा देने की मांग करता हूँ।

(व्यवधान जारी)

(इस अवसर पर विपक्ष द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया)

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य विभागों में प्रशंसनीय कार्यों में अमूल्य योगदान है । जो विगत डेढ़ माह से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में है ।

मैं इनकी मांगों को लेकर सरकार से सहानुभूहितपूर्वक विचार करने की मांग करता हूँ ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर है । जिन्हें न्यूनतम अथवा मनरेगा मजदूर से भी कम मानदेय मिलता है । सरकार से इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित करने अथवा मानदेय दोगुना करने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुर्यकान्त पासवान । आप वही पढ़ियेगा जो आप लिखे हुए हैं ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 दिनों से आंदोलनरत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को क्रमश: 25000/- एवं 18000/- मानदेय देने की मांग सरकार से करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब इस पर कुछ मत कहिये ।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं सहायिकाओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड-सी एवं ग्रेड-डी में समायोजित करने तथा जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक सेविकाओं को 25000/- एवं सहायिकाओं को 18000/- रुपये प्रतिमाह मानदेय की मांग करता हूँ ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य भर में चल रहे आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर, सेविकाओं को 25000 एवं सहायिकाओं को 18000 रुपया मानदेय देने तथा ग्रेजुएटी का भुगतान करने की मांग करता हूँ ।

श्री भूदेव चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिलान्तर्गत रजौन प्रखंड के पारोहाट से किशनपुर चैनपुर होते हुए पड़घड़ी तक की सड़क काफी जर्जर हो गयी है । जिससे आमजनों को आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है ।

अत: जनहित में अविलम्ब सड़क की मरम्मती एवं कालीकरण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत तीन सालों से बढ़ती महंगाई के अनुसार गन्ना उत्पादन में लागत काफी बढ़ गयी है । लेकिन चीनी मिलों के दबदबा के कारण गन्ना मूल्य स्थिर है जिससे किसानों को गन्ना की खेती करने में घाटा हो रहा है। गन्ना मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग करता हूँ ।

टर्न-5/अभिनीत/07.11.2023

श्री विनय कुमार : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के 8463 पैक्सों में निबंधक सहयोग समितियां बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या-328, दिनांक-13.01.2023 के आलोक में प्रबंधक कार्यरत हैं जिन्हें उत्तराखंड राज्य के कैडर व्यवस्था के तर्ज पर वेतन भुगतान करने हेतु मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह ।

माननीय सदस्य, आप नेता हैं, आपने शून्यकाल में पचास शब्दों से अधिक शब्दों का आपने उपयोग किया है फिर भी आपको शून्यकाल पढ़ने की इजाजत आसन देता है । भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए ।

श्री राम रतन सिंह : धन्यवाद महोदय । महोदय, राज्य सरकार एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्य जिसमें जनप्रतिनिधि भी होते हैं का आधार नं0 एवं पैन नं0 को ऑनलाईन कॉलेज एफिलिएशन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है ।

अत: आधार एवं पैन नंबर की गोपनीयता बनाये रखने हेतु इसे पोर्टल पर अपलोड करने की बाध्यता को समाप्त करने अथवा इस पोर्टल को बंद करने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री मुहम्मद इजहार असफी ।

श्री मुहम्मद इजहार असफी : महोदय, किशनगंज जिलांतर्गत कोचाधामन विधान सभा सहित अन्य तीनों विधान सभा में बिजली विभाग में कार्यरत मानवबल और बटन पठचालाकों का मानदेय बहुत कम है ।

अत: मैं सरकार से मानवबलों और बटन पठचालकों का मानदेय प्रतिमाह 25000-30000 करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, बिहार में कार्यरत विद्युत कामगार मानवबलों को एजेंसी से मुक्त कर समायोजन करने तथा इनका वेतन 8000 से बढ़ाकर 21000 करने और साथ ही ESI/PF, CL, दुर्घटना बीमा आदि सुविधायें देने तथा इनका सेवाकाल 60 वर्ष तय करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अररिया जिलांतर्गत रानीगंज प्रखंड के मझुआ पूरब, मझुआ पश्चिम, बौंसी, धोबनिया, भोरहा, पहुंसरा, कालाबलुआ, मोहनी, कोशकापुर दक्षिण, गुणवंती, नंदनपुर, फरकिया, घघड़ी, रानीगंज नगर पंचायत के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गांवों में संथाली भाषा की पढ़ाई प्रारंभ करने हेतु शिक्षक की नियुक्ति करने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : महोदय, समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखंड अंतर्गत फतेहपुर-बाला पंचायत के वार्ड 10 में हनुमान मन्दिर के निकट NH 28 से पूर्व सांसद श्री अजीत कुमार मेहता के घर जाने वाली जर्जर सड़क का जनहित में अविलंब जीर्णोद्धार करने की मांग करता हूं ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, बिहार को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली NH-727A पथ अंतर्गत सिवान जिला के मझौली चौक मैरवा से रामपुर बुजुर्ग तक सड़क अत्यंत खराब स्थिति में है । जनहित में उक्त पथ का तत्काल निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री अजय कुमार सिंह : महोदय, राज्य में आंगनबाड़ी सेविका को कुल 6 हजार मानदेय मिलता है जिसमें 4500 रुपये केंद्रांश और 1500 रुपये राज्यांश है । 6 हजार में इनका गुजारा संभव नहीं हो पा रहा है ।

अत: राज्यांश को भी 4500 रुपये किये जाने की मांग करता हूं ।

श्री मो0 कामरान : महोदय, नवादा जिला के गोविन्दपुर प्रखंड में बिजली की भारी किल्लत को देखते हुए लागों को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने हेतु अकबरपुर से गोविन्दपुर के बीच में विद्युत उपशक्ति केंद्र बनाने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता । इन्होंने माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी को प्राधिकृत किया है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका लगभग 39 दिनों से हड़ताल पर हैं । सरकार इन लोगों पर कोई विचार नहीं कर रही है जिसके कारण गरीब बच्चे इधर-उधर भटक रहे हैं । मैं आपके माध्यम से इनके मांग को पूरा कर हड़ताल समाप्त करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, आप अपनी सूचना भी पढ़ लीजिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, 04 अक्टूबर, 2023 को भोजपुर जिलांतर्गत कोईलवर प्रखंड के चांदी बाजार में दवा दुकानदार टून्नू सिंह की गला रेतकर बर्बर हत्या कर दी गई । हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी व मृतक के परिजनों के लिए 10 लाख रुपये मुआवजा की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री ललन कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री बीरेन्द्र कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, राज्य में लगभग 01 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं जिनमें सेविका और सहायिकाएं कार्यरत हैं । इन्हें दैनिक मजदूरों से भी कम मानदेय मिलता है ।

मैं सरकार से राज्य की सेविका एवं सहायिकाओं के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती रश्मि वर्मा ।

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी । माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें ।

<u>ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य</u>

श्री तारकिशोर प्रसाद, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सहकारिता विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

सर्वश्री सुदामा प्रसाद, राम रतन सिंह एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग/वाणिज्य कर विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में लगाए गए लम्बे लॉकडाउन के कारण फल, सब्जी, दूध, अनाज, मिठाई, बेकरी, मांस-मछली, किराना, दवाई, फूटवेयर, सैलून, कपड़ा आदि के व्यापार से जुड़े राज्य के फूटपाथी दुकानदारों, छोटे मंझौले व्यवसायियों के साथ ही बड़े व्यापारियों को भी भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था । अब कमरतोड़ महंगाई, ऑनलाईन व्यापार, रिटेल-माट, मॉल-संस्कृति के कारण छोटे दुकानदारों के साथ-साथ बड़े व्यापारियों का व्यापार भी मंदी का शिकार है । मजदूर-किसानों की घटती क्रय-शक्ति और बेरोजगारी के कारण शहर-बाजारों में ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही है ।

अतः बिहार में व्यवसाय और व्यवसायियों के समग्र विकास के लिए व्यवसायिक आयोग के गठन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

टर्न-6/हेमन्त/07.11.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें समय चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न संयोग से वाणिज्य-कर विभाग में आ गया था और यह मामला सामान्य प्रशासन विभाग का है । अगली तिथि जो निर्धारित करेंगे उसमें इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगली तिथि में इस प्रश्न का जवाब दे दिया जायेगा ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, इसी सत्र में ही दिया जायेगा न ?

अध्यक्ष : अगली तिथि का मतलब क्या हुआ ? अगला सत्र नहीं कह रहे हैं, अगली तिथि कह रहे हैं ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा(सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग एवं सहकारिता विभाग से संबंधित चतुर्थ प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति ।

श्री अजीत शर्मा (सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन सं0-4 की प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-7/धिरेन्द्र/07.11.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

राजकीय कार्य

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

राजकीय कार्य लिये जायेंगे । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें । आपने इजाजत ली है ? आप बैठिये, अभी बैठिये ।

(व्यवधान जारी)

आसन के बिना इजाजत के नहीं बोल सकते हैं । ये जो भी बोल रहे हैं उसे प्रोसीडिंग से निकाल दीजिये ।

(व्यवधान जारी)

आप स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

(व्यवधान जारी)

आप स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय सदस्य महबूब आलम साहब, आप स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री नन्दकिशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर खड़े हैं ।

अध्यक्ष : आपकी क्या व्यवस्था है ? बोल दीजिये ।

श्री नन्दकिशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि आज माननीय मंत्री जी ले करेंगे। स्वाभाविक है कि हम विमर्श भी करना चाहेंगे, सरकार भी करना चाहेगी तो कितने समय रहेंगे विमर्श के लिए, दलों को कितना समय एलॉट होगा यह आपकी ओर से घोषणा हो जाय तो मंत्री महोदय अपनी बात बोलते । यह मैं कह रहा हूँ ।

बिहार जाति आधारित गणना 2022-23 प्रतिवेदन का उपस्थापन

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग । आप अपना प्रस्ताव पुट कीजिये ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य की जातीय गणना से संबंधित प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : एक मिनट । माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उस पर यदि सभी दलों के नेता अपनी कोई राय देना

चाहते हैं तो सदन में व्यक्त कर सकते हैं लेकिन इसे अत्यंत ही संक्षेप में रखा जाय क्योंकि आज ही विधान परिषद् में भी इसे उपस्थापित किया जाना है और वहाँ भी इस पर चर्चा होनी है । माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

(व्यवधान)

आपको समय दिया जायेगा, आप बैठिये । आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

(व्यवधान जारी)

सरकार जवाब से नहीं भाग रही है । आप सुनिये, आपको सुनना चाहिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, समय एलॉट किया जाय ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि आज तो पेश हो ही चुका है उसके बारे में बहुत ही संक्षेप में बता देंगे कि इन-इन विषयों पर सारी जानकारी दे दी गयी है लेकिन उसके बाद सभी पार्टियों को अपनी राय देना है तो जो भी पार्टी के लोग बोल कर, एक-एक आदमी बोलें...

(व्यवधान)

सुनिये न । जो बोलेंगे तो उनको जितना बोलना है बोलें न, इसमें क्या दिक्कत है । इसलिए कृपा करके पहले इनको, ये तो रख दिये हैं लेकिन थोड़ा-सा संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में, तुरंत बोल देंगे लेकिन आप अपना पूरे तौर पर रख दीजिये । एक-एक पार्टी की राय सामने आ जायेगी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : देखिये, एक बात हम बता देते हैं, सुनिये न । यह सब की राय से न हुआ है ।

अध्यक्ष : सदन के सभी दल के एक-एक नेता दस-दस मिनट बोलेंगे । नेता विरोधी दल, आप पहले दस मिनट बोलेंगे ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, जितनी देर बोलना है, बोलने दीजिये न ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये । मैंने कहा कि इसको विधान परिषद् में भी उपस्थापित होना है ।

(व्यवधान जारी)

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग । माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन पार्टियों की संख्या जैसी है उसी के हिसाब से उनको आप अवसर दीजिये । एक बात हम कह देना चाहते हैं, आप सब जानते हैं कि सबकी सहमति से और राय से यह तैयार

हुआ है तो सबकी सहमति से सब कुछ कर दिया गया है तब जो बात आ गयी है तो अपनी बात रखिये न ।

श्री नन्द किशोर यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी सहमति से हुआ है लेकिन जो विस्तृत रिपोर्ट आयी है, जिसका आपने अध्ययन कराया है, उसमें समय-सीमा तय कर दीजिये, कुछ बोलने का मौका दीजिये, राज्य के हित में है, इसमें कहीं कोई भेद-भाव है ही नहीं । हम भी इसके समर्थन में हैं और आप भी समर्थन में हैं तो हमारी बात को कहने से रोकना क्यों चाहते हैं ? इतना महत्वपूर्ण विषय है तो क्यों रोकना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले सरकार की तरफ से आसन का और इस सदन के सभी दलों के माननीय नेताओं के प्रति सरकार की तरफ से हम आभार प्रकट करते हैं कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के समर्थन से बिहार सरकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसकी पूरे देश में कोई मिसाल नहीं है ।

महोदय, सभी लोग अवगत हैं कि आज इस सदन के गठन के पूरे 111 वर्ष हो गए और इस दरमियां, इस सदन ने कई ऐतिहासिक पड़ाव देखे हैं परन्तु आज जिन तथ्यों से या जिस दस्तावेज से यह सदन रू-ब-रू हो रहा है कि वह न सिर्फ बिहार के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक इतिहास में एक सबसे ऊँचा मील का पत्थर साबित होगा बल्कि इसकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई पड़नी शुरू हो गयी है । महोदय, बहुत दिनों से हमलोग महसूस कर रहे थे मुख्यमंत्री जी विशेष तौर से कि विभिन्न जातियों की सही संख्या कोई प्रमाणिक संख्या उपलब्ध नहीं थी, न अलग-अलग जातियों में गरीबों की क्या संख्या है इसके कोई प्रमाणिक आँकड़े नहीं थे । इसलिए इसकी आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी और हमलोगों के पास सिर्फ एक वर्ष 1931 की जनसंख्या जनगणना के कुछ आँकड़े थे जिसके आधार पर अलग-अलग जातियों के लोगों द्वारा जो प्रतिशत दावा किया जा रहा था अगर उनको जोड़ देते तो एक बड़ी अस्वाभाविक, अविश्वसनीय स्थिति पैदा हो जाती थी । इसलिए सरकार ने यह समझा और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों के सहयोग से, मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक ऐसा काम हमलोगों ने किया है जो दस्तावेज हमने दिया है, हो सकता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है इसका सही आकलन हमलोग नहीं कर पा रहे हैं । महोदय, आने वाले समय में जितने सामाजिक, आर्थिक संस्थान हैं, जहाँ कहीं अध्ययन होता है, जितने विशेषज्ञ हैं, उन सब लोगों के लिये यह जो दस्तावेज आज हमलोग सरकार की

तरफ से मेज पर रखे हैं और सभी लोगों के बीच हमने वितरित किया है, ये आने वाले दशकों-दशकों तक पीढ़ियों तक ये एक संदर्भ दस्तावेज हो जायेगा, एक रेफ्रेंस डॉक्यूमेंट हो जायेगा । इसलिए हम सरकार की तरफ से सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करते हैं कि आपकी सहयोग से सरकार ने यह बड़ी ही ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है । महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह मुख्यमंत्री जी की मौलिक सोच थी लेकिन आप सभी का सहयोग रहा है सरकार इस बात को मानती है । दूसरा, जो भी आँकड़े हमने एकत्रित किये हैं, वे सभी स्वैच्छिक हैं, स्वघोषणा के आधार पर जो नागरिकों ने अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जो सूचनाएँ और आँकड़े दिये हैं वही हमने इसमें शामिल किया है और उसी को हम प्रस्तुत कर रहे हैं ।

महोदय, जहाँ तक जातियों की बात है । जातियों की संख्या इसमें लगभग 215 है । सामान्य श्रेणी के 7 जातियाँ हैं, पिछड़े वर्ग के 30 जातियाँ हैं, अति पिछड़े वर्ग के 112 जातियाँ हैं, जो अनुसूचित जाति है उसकी 22 जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजाति की 32 जातियाँ हैं और कुछ ऐसी जातियों का भी उल्लेख आया है जो कहीं सूचिबद्ध नहीं है वैसे 12 जातियाँ हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-8/संगीता/ 07.11.2023

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, कुल मिलाकर 215 जातियां हैं और कहीं-कहीं से जब आवाज आती है कि इनकी संख्या घटा दी गई, बढ़ा दी गई या किन्हीं को कोई दिक्कत होती है तो महोदय, किसी जाति की संख्या या उसके प्रतिशत में कोई बढ़ना या घटना, यह किसी जाति विशेष की उपलब्धि या उसकी असफलता का द्योतक नहीं होता है इसके कई कारण होते हैं और मैं अब आंकड़ों की प्रमाणिकता के बारे में सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं । एक तो हमलोग जब आंकड़ा संकलित कर रहे थे उसी समय कि हमारे आंकड़े शुद्ध रहें, सटीक रहें इसलिए इसमें से 5 प्रतिशत जो गणना की इकाइयां हैं जैसे- वार्ड है, पंचायत है उनका हमलोगों ने जो क्रमरहित नमूना कहते हैं, रैंडम सैंपलिंग करते हैं उसको निकालकर फिर दूसरे अधिकारियों से, उसको हमलोगों ने फिर सत्यापित कराया है और उसमें त्रुटि नगण्य पायी गयी है । महोदय, मैं सिर्फ एक उदाहरण जरूर देना चाहता हूं कि आप देखिएगा सभी आंकड़े आपके पास पहुंच चुके हैं कि हमलोगों की गणना में बिहार में गरीबों की संख्या 34.1 प्रतिशत आयी है और आप सबने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले भारत सरकार के नीति आयोग ने एक जिसको बहुआयामी

गरीबी सूचकांक कहते हैं, Multi-dimensional Poverty Index, उसमें बिहार में गरीबी को उनलोगों ने 33.78 प्रतिशत मतलब, वह भी लगभग 33.8 प्रतिशत है, गरीबों की संख्या, उन्होंने गरीब परिवारों की संख्या निर्धारित की है और हमने जो अपने स्तर से गरीबों की पहचान की है उसमें भी वह 34.1 आयी है ये कितना मतलब दोनों सच्चाई के करीब है यह हम बताना चाहते हैं जबकि उन्होंने जो इंडेक्स बनाया था सूचकांक, वह देश भर के ही अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की मदद से नहीं विश्व भर के अर्थशास्त्रियों की मदद से नीति आयोग ने वह सूचकांक बनाया था और उस पर बिहार में गरीबी 34.1 आयी थी और हमलोगों ने जो हमने मांगा है हमने बताया है प्रतिवेदन में कि जिस परिवार की मासिक आय 6000 रूपये से भी कम है उसको हमलोगों ने अपनी गणना में गरीब माना है और ये स्वाभाविक था क्योंकि इसी आधार पर आगे की कार्रवाई करनी थी और इसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे थे सब लोगों के समर्थन से । महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से इस मामले को न्यायालय में घसीटा गया, 14-15 मुकदमे उच्च न्यायालय में हुए, 5 मुकदमे उच्चतम न्यायालय में हुए लेकिन हमने कितना सही आपने भी निर्णय में आप भी शामिल हैं कि ये जो कुछ अति ज्ञानी लोग होते हैं बुद्धि विलासी लोग जिनको जरूरत से ज्यादा बुद्धि रहती है उनके बुद्धि का बहाव आजकल लोकहित याचिकाओं के माध्यम से होता है और वे उसके लिए न्यायालय में पहुंच जाते हैं तो सिर्फ मैं उच्च न्यायालय के एक ऑर्डर जो अंतिम आदेश दिया था हालांकि थोड़े दिन के लिए लोगों ने गुमराह करके स्थगित भी करा दिया, लगभग 100 दिनों से अधिक की देरी हो गई जो हाई कोर्ट ने स्थगित कर दिया लेकिन अंतिम आदेश में फाईनल आदेश में जो उच्च न्यायालय ने कहा है वह जरूर सबलोगों ने देखा होगा और उसको मैं जरूर कहना चाहता हूं कि We find the action of the state to be perfectly valid intiated with due competence क्योंकि कुछ लोग कहते थे राज्य सरकार को अधिकार नहीं है with the legitimate aim of providing 'Development with Justice' जो मुख्यमंत्री का सिद्धांत है न्याय के साथ विकास, as proclaimed in the address to both Houses and actual survey to have neither exercise nor contemplated any question to divulge the details and having pass the taste of proportionality मतलब किसी को ये नहीं किया गया है बाध्य नहीं किया गया है और सरकार ने बिल्कुल सही किया है Thus, not have violated the rights of privacy निजता के अधिकार के हनन की भी बात हो रही थी not violating the rights of privacy of individuals especially since it is in furtherence of a compailing public interest which in effect in the

legitimate state interest. महोदय, इससे बड़ा प्रमाण किसी न्यायालय द्वारा सरकार के काम को दिया नहीं जा सकता है लेकिन इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए तो वहां क्या कहा महोदय, जो हमने कहा कि कुछ बुद्धि विलासी लोग भी हैं अति ज्ञानी लोग उनको सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस वहां बी0आर0गवई हैं अभी हमने देखा था समाचार पत्रों में कल परसों पटना भी वे आए हुए थे उन्होंने क्या कहा कि This is not a public interest litigation, this is publicity interest litigation मतलब जो लेकर गए हैं वह सिर्फ पब्लिसिटी चाह रहे हैं Go to High Court इसलिए महोदय, सरकार के कामों को जिस तरीके से न्यायालय ने उचित ही नहीं न्यायसंगत और न्याय के विकास के सिद्धांत के अनुरूप बताया है महोदय, वह सरकार की मंशा को बिल्कुल लोगों के सामने स्पष्ट कर देता है और अंत में महोदय, चूंकि बहुत सारे लोगों को बोलना है ये जो आंकड़े आपको दिए गए हैं इससे कुछ बड़े अच्छे निष्कर्ष सामने आते हैं । खासकर जो सामाजिक, आर्थिक विकास का पैमाना होता है चाहे वह साक्षरता दर हो, चाहे गरीबी हो, चाहे लिंगानुपात जो कहते हैं सेक्स रेशियो जो कहते हैं, प्रति पुरूष कितनी महिला होती हैं समाज में, तीनों स्तर जो सामाजिक विकास, आर्थिक विकास का पैमाना होता है उसमें बिहार की उपलब्धि महोदय, असाधारण है और आप देखिए कि साक्षरता दर में बिहार में 2011 की जनगणना जो केंद्र सरकार ने करायी थी उसमें 61.8 प्रतिशत था और अभी जो महोदय, हमलोगों ने कराया है उसमें 79.7 प्रतिशत है और सबसे आपको और सदन के सभी माननीय सदस्यों को सुनकर अच्छा लगेगा कि यह जो साक्षरता दर बढ़ने का प्रतिशत है यह पुरूषों से कहीं ज्यादा महिलाओं में है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों के कारण हुआ है । महोदय, आंकड़े बताते हैं कि पुरूष में साक्षरता दर बढ़ने का प्रतिशत 17.9 प्रतिशत है जबकि महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ने का प्रतिशत 22.4 प्रतिशत है ये समझ लीजिए महोदय, सीधे कितनी है । अभी हमने गरीबी की बात कही जो गरीबी का निर्धारण हमने जिस तरीके से किया है और भारत सरकार ने भी बहुत बड़े-बड़े विशेषज्ञों को जमा करके जो उसका सूचकांक बनाया है उस पर भी ये दोनों आंकड़े बिल्कुल करीब हैं बहुत ही क्लोज हैं । महोदय, ये हमारे आंकड़े की सत्यता या सत्यापन की तरफ भी इशारा करता है और इसमें अभी पिछले दिन भी देखे होंगे कि जो भारत सरकार नीति आयोग ने भी कहा है कि पूरे देश में गरीबी रेखा से बाहर लोगों को करने के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में अव्वल है और सभी प्रदेशों से ज्यादा लोग बिहार में गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और महोदय, उसी तरीके से जो लिंगानुपात कहते हैं, जहां प्रति हजार कितनी महिलाएं समाज में

होती हैं जो 2011 में प्रति हजार यहां 918 महिलाएं थीं वह हमारी जो गणना हुई है उसमें प्रति हजार 953 महिलाएं हैं आज । इसलिए महोदय, हर मायने में बिहार आगे बढ़ रहा है और यह काम इतना अद्वितीय हुआ है कि आने वाले समय में न सिर्फ प्रदेश की सरकारें बल्कि केंद्र सरकार का भी ध्यान निश्चित रूप से इस तरफ आकर्षित हुआ है महोदय । लेकिन जब न्यायालय में प्रक्रिया चल रही थी एक चीज बड़ी विचित्र घटना घटी, केंद्र सरकार सभी मामलों में पार्टी बनायी गयी थी जितनी लोकहित याचिकाएं आयी थीं, किसी में वह अपीयर नहीं हुई लेकिन जब उच्चतम न्यायालय में दूसरे लोकहित याचिका की बात चल रही थी अचानक से केंद्र सरकार की रूचि जग गई और महोदय, उन्होंने सबसे तो समझ में बात नहीं आई, महोदय, अब यह कहेंगे कि यह सरकार ने अद्वितीय काम किया है जिसका प्रतिवेदन हमने आपके सामने सभी सदस्यों के बीच रख दिया है जो सभी को उपलब्ध है अब हम सदन से और सभी दल के नेताओं से अनुरोध करेंगे सरकार की तरफ से कि सब लोग अपनी राय रखें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(माननीय मंत्री का लिखित वक्तव्य-परिशिष्ट-1)

टर्न-9/सुरज/07.11.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इस प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये कुल 2 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है :

राष्ट्रीय जनता दल	-	39 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	38 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	22 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	09 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0एल0)	-	06 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	02 मिनट
सी0पी0आई0 (एम0)	-	02 मिनट
सी0पी0आई0	-	01 मिनट
ए0आई0एम0आई0एम0	-	01 मिनट
कुल	-	120 मिनट

माननीय नेता प्रतिपक्ष । या तो स्वयं पूरा बोल लें नहीं तो किसी और से बोलवायेंगे लेकिन समय आपका यही रहेगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आज जाति आधारित सर्वे की नींव महोदय यह जाति आधारित सर्वे की नींव एन0डी0ए0 की सरकार में पड़ी है और

ये मैं बता दूं कि जो आज साथ बैठकर ढोल बजा रहे हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की बेचैनी भी दिखाई पड़ रही है...

(व्यवधान)

महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण शांति बनाये रखें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आज क्रेडिट लेने की होड़ लगी है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इनको बोलने दिया जाय । आप शांति बनाये रखें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, हमने तो हमेशा..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय महबूब साहब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : हमेशा जातीय सर्वे के प्रस्ताव में...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : समर्थन किया । महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आप शांत रहें ।

(व्यवधान)

आप शांति बनाये रखें, समय न बर्बाद करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, मैंने प्रस्ताव में भी समर्थन किया, केबिनेट में भी समर्थन किया । इसी सदन में हमलोग बैठे थे पूरी सहमति जतायी । महोदय, डेलिगेशन गया उसमें भी हमने भागीदारी किया । महोदय, गरीबों के हित में हमेशा हम साथ खड़े हैं । हर तरह की योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन करती है । लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, कहना चाहेंगे बड़े विद्वत लोग हैं, अनुभवी भी हैं और अनुभव की किताब लेकर बैठे हैं । ये अनुभव की किताब रखने वाले लोगों से हम कहना चाहेंगे कि विचार ऐसा रखें जिस विचार पर....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : लोग विचार करें । लेकिन आप जो विचार रख रहे हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये । माननीय सदस्य अंगुली नहीं दिखाइये । आप बार-बार कैसे खड़े हो जाते हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : ये क्या सत्ताधारी दल के लोग...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिये, अभी बैठिये । बिना इजाजत कोई नहीं खड़ा हो सकता । अगर आप व्यवधान डालियेगा तो आप अपने समय में कटौती...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । महबूब साहब बैठिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, हमारा समय बढ़ाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये । कहने दीजिये इनको ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, जो विद्वत लोगों ने भरमाने का, घुमाने का, लटकाने का और यहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी कहते थे कि ये जलेबी हैं, जलेबी की तरह घुमाते हैं और आज भी शब्दों में...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जातीय जनगणना पर आपका क्या विचार है इसको कहिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : वही बोल रहे हैं...

अध्यक्ष : जलेबी और लड्डू मत कहिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, समय बर्बाद न हो...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष के मुंह से जलेबी और लड्डू कहना ठीक नहीं है । आप अपना कहिये न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, हमारी पूरी बात को सुनें । कोर्ट की बात भ्रम फैलाने वाला ये मामला कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातीय सर्वे का विरोध नहीं किया । हमेशा खुलकर समर्थन किया है । ये जातीय जनगणना की बात कहे थे । महोदय, जातीय जनगणना ये हम नहीं कांग्रेस के मंत्री चिदम्बरम साहब भी कहे थे कि जातीय जनगणना भारत सरकार कराती है, राज्य सरकार का अधिकार नहीं है और ये लोगों को भरमा रहे हैं, गलत रूप से बता रहे हैं । महोदय, आज लोगों का इस जातीय सर्वे में कई शिकायतें आयी है । कई लोगों ने धरना-प्रदर्शन के माध्यम से भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहा । चाहे चन्द्रवंशी समाज हो, धानुक समाज हो और उसी समाज के महागठबंधन के प्रगति मेहता जी का स्टेटमेंट भी आया था । आपके जदयू के सांसद माननीय सुनील कुमार पिंटू जी का भी स्टेटमेंट आया था कि ये गलत हुआ है और इस तरह से

कई लोगों का सरकार को इस पर विचारना चाहिये था कि किस जाति में बेरोजगार कितना है ? आपने रोजगार की बात तो कर दिया, बेरोजगारों की चर्चा क्यों नहीं किया ? बताना चाहिये कि किस जाति में कितना बेरोजगार है । इस पर मौन क्यों हैं ? महोदय, आज जो उछल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने इतिहास कायम कर दिया । आप केन्द्र में सरकार में थे श्रीमान् लालू प्रसाद यादव जी केन्द्रीय मंत्री थे, बड़े पावरफुल मंत्री थे तब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराये ? 2011 में यू0पी0ए0 की सरकार थी क्यों जातीय जनगणना नहीं हुआ ? महोदय, केन्द्र के साथ मिलकर 2015 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री उस समय सीतारमैया जी जातीय गणना करवाये थे । आज तक आंकड़ा क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया ? आपके आई0एन0डी0आई0ए0 गठबंधन आपके नारा को बुलंद कर रहे हैं, चुनाव जब आता है लोगों को भरमाने का खेल खेलते हैं वह आंकड़ा तो जारी करवाइये । क्यों मौन हैं ? आज कांग्रेस सरकार ने ओ0बी0सी0 आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जिसकी गोद में जा करके आज जिस कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प लिये थे, जिसकी गोद में जाकर बैठे हैं राजद और जदयू के नेता आज ओ0बी0सी0 संवैधानिक का दर्जा नहीं देना वह भी भारतीय जनता पार्टी ने किया था । हमारी सरकार अति पिछड़ों, महिलाओं को पंचायत से लेकर नगर निकाय तक आरक्षण...

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष आप जातीय जनगणना पर बोलिये न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, मैं उसी पर बोल रहा हूं ।

अध्यक्ष : जातीय जनगणना पर बोलिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, 2090 से 2005 तक राजद, कांग्रेस की सरकार अति पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया ? ये तो जवाब देना चाहिये था । आप लंबे समय तक, आप 15 साल तक सरकार में बैठे रहे क्यों दर्द नहीं उभरा गरीबों के प्रति, क्यों नहीं आप उस समय लाये ? महोदय, आज शैक्षणिक संस्था के अंदर केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल में ओ0बी0सी0 को आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया । चार लाख बच्चे को लाभान्वित किया । महोदय, ढोल बजाने से काम नहीं चलेगा जमीन पर काम करने से काम चलेगा । महोदय, आज हमारे ओ0बी0सी0 प्रधानमंत्री गरीबों के हित में काम कर रहे हैं...

(व्यवधान)

महोदय, आज जिस भूमि...

(व्यवधान)

महोदय, टोका-टोकी से समय बर्बाद होता है ।

अध्यक्ष : कौन आदमी टोक रहा है ? आपके लोग ढोल बजा रहे हैं । क्यों बजा रहे हैं ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ज्यादा समय तो आप ही मेरा ले रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्यों ढोल बजा रहे हैं ? बोलिये नेता प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, आपलोगों ने दिखाया कि भूमिहीन कितना है आपने इस किताब के अंदर क्यों नहीं जारी किया

(क्रमशः)

टर्न-10/राहुल/07.11.2023

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल (क्रमशः) : कि किस जाति में कितने भूमिहीन हैं? आप स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं उसका आंकड़ा जारी करना चाहिए । किस परिवार में बच्चों की संख्या कितनी है वह भी आंकड़ा जारी होना चाहिए । महोदय, किस परिवार में छोटा परिवार, बड़ा परिवार में भी विशलेषण बताना चाहिए । ए0एन0 सिन्हा इंस्टीट्यूट ने मल्लाहों की रिपोर्ट जारी की थी उसने वर्ष 2013 में कहा था कि 85 लाख संख्या है और आपके समय में 65 बतायी गयी । आप वह रिपोर्ट भारत सरकार को भी भेजे थे । यह अंतर, यह डिफरेंश क्यों है सरकार को बताना चाहिए । अति पिछड़ों के आंकड़ों को लेकर के जो प्रश्न उठ रहा है यह वातावरण को कहीं न कहीं भ्रमित कर रहा है । महोदय, धर्म के आधार पर वर्ष 2011 में सेंसस हुआ था उस समय जैन धर्म 18914 था और आज 2023 में यह 12513 हो गये, सिक्ख 2011 में 23789 थे और 2023 में 14753 हो गये, ईसाई 1,29,274 थे और 2023 में 75238 हो गये, हिंदु 82.68 परसेंट थे आज 2023 में 81.99 परसेंट हो गये । महोदय, कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर आज जितनी सरकार चल रही हैं वहां जातीय सर्वे क्यों नहीं कराया गया...

श्री महबूब आलम : दोबारा गणना करवा लीजिये...

अध्यक्ष : आप बैठिये । शांति-शांति । आप बैठिये ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय,...

अध्यक्ष : आप शोरगुल करियेगा ?

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, मैं एक चीज और कहता हूं कि माननीय जो ढोल पीट रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो पौधे संभाल कर रखे जाते हैं वह कभी वृक्ष नहीं बनते और आपने जो उत्तराधिकारी घोषित किया किसी अतिपिछड़ा और दलित के बच्चों को, उस विधायक को, उस परिवार से क्यों नहीं घोषित किया गया । हिम्मत है तो अतिपिछड़ा को आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाने का आप शंखनाद करिये, घोषणा कीजिये...

(व्यवधान)

अब देखिये क्या बैचेनी है । महोदय, हमने तो अतिपिछड़ा को उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को बनाया, नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी को बनाया । इन सारी कवायदों के बावजूद आपकी पुस्तिका में उद्देश्य नाम की कोई चीज नहीं है । आप आपके माध्यम से सदन का, सरकार का उद्देश्य भी जानना चाहता हूं । महोदय, कहना चाहूंगा कि सरकार अतिपिछड़ों और अन्य वंचितों की विकास योजनाओं की घोषणा आज सदन में करे हम उसक समर्थन करेंगे । सरकार करे घोषणा भारतीय जनता पार्टी गरीबों के हित में पूरे समर्थन के लिए तैयार है । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि तूफान में किश्तियां और अभिमान में हस्तियां डूब जाती हैं यह घमंडिया गठबंधन सरकार की नीयत में खोट है, यह नीति सफल नहीं हो सकती है जैसे शराबबंदी की, जैसे खनन विभाग की और कई नीतियां नियुक्ति की असफल हुई । महोदय, ये हड़बड़ी में लाते हैं कई गड़बड़ी छोड़कर जाते हैं । महोदय, कहने के लिए तो बहुत सारी बाते हैं हमारे और माननीय सदस्य कहेंगे लेकिन ये सफल कभी नहीं हो सकते क्योंकि इनकी नीयत में ही खोट है । अब शेष समय में हमारे दल के सदस्य माननीय श्री नंदकिशोर यादव की बोलेंगे ।

अध्यक्ष : अभी तो आप बैठिये ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य आप बैठिये । सुदय जी आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये । आप सुनिये, अगर कोई ढोल बजाता हो तो अपने को ढोल नहीं बजाना चाहिए । राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री भारत भूषण मंडल ।

श्री भारत भूषण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं नेता सदन और अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी हम यह बताना चाहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से बिहार देश का सबसे अग्रणी राज्य है । यह इसी बात से परिलक्षित होता है जिस मांग को जो बहुजनों की मांग थी, जो 90 प्रतिशत लोगों की मांग थी कि देश के स्तर पर जातीय जनगणना करायी जाय । उस मांग को अनसुनी करने का काम एन0डी0ए0 के नेतृत्व में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया लेकिन वही हम बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को और अपने डिप्टी सी0एम0 को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस प्रकार अन्य मामलों में हमेशा बिहार अग्रणी भूमिका निभाता है उसी भूमिका में फिर से बिहार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया जो पूरे देश और दुनिया को आकर्षित कर रहा है । जो जातीय आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं वे

बहुत ही चौकाने वाले हैं आपको मालूम है और हम पक्ष-विपक्ष के सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि आप खुले मन से, अच्छे मन से सरकार के इन निर्णय का दिल खोलकर स्वागत कीजिये क्योंकि यह देश और बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है कि इस दस्तावेज का अध्ययन करके सरकार को नीति बनाने में बहुत कारगर मदद मिलेगी । आपको मालूम है कि लंबे समय से यह मांग की जा रही है कि इस देश में ओ0बी0सी0 की हालत क्या है, इस देश में एस0टी0 की हालत क्या है, इस देश में दलितों की स्थिति क्या है, इस देश में माइन्योरिटी की स्थिति क्या है, अन्य बहुजनों की स्थिति क्या है बिना इसका पता लगाये उनके हक में नीतियां कैसे बनायी जा सकती हैं । आपको मालूम है कि जो आंकड़े सामने आये हैं उसका आज सभी लोगों ने बहुत विश्वसनीय माना है, बहुत प्रमाणिक माना है । चाहे वह डाटा साइंटिस्ट हों, चाहे वे अर्थशास्त्री हों, चाहे अकेडमिशियन हों सभी लोगों ने एक स्वर से बिहार सरकार की जातीय गणना का, जातीय सर्वे की विश्वसनीयता को बहुत सही माना है । मित्रो अब हम कहना चाहते हैं कि आज आप देखिये कि यह जो 90 फीसदी लोग हैं, बहुत सही सवाल उठाया जा रहा है, बहुत तरह के आंकड़े जो नेशनल, इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त आंकड़े हैं अभी मैं एक रिपोर्ट को देख रहा था जो पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से है जिसके डाटा को पूरी दुनिया में बहुत विश्वसनीय ढंग से देखा जाता है उसके जो थॉमस पिकेटी हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी हैं उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं जिस हैडिंग से वेल्थ इन एकेब्लिटी क्लास और कास्ट इन इंडिया, 1961-2012 के बीच का वह आंकड़ा यह बता रहा है कि इस देश में जो 90 फीसदी लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, समाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है और इनकम की स्थिति क्या है । वे आंकड़े इस बात को दर्शाते हैं कि जो 90 फीसदी लोग हैं उनके पास 10 फीसदी वेल्थ है । हम विपक्ष के लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर देश का निर्माण ईमानदारी से करना चाहते हैं, देश को आधुनिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो बेईमानी से कोई राष्ट्र आर्थिक तौर पर, समाजिक तौर पर उन्नत नहीं होता है उसके लिए ईमानदार प्रयास और ईमानदार आंकड़े प्रस्तुत करने होते हैं । जो आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं उनके आधार पर यह जो 90 फीसदी लोग हैं वे कहां खड़े हैं? चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे मीडिया हाउस हो, चाहे कॉर्पोरेट का क्षेत्र हो, चाहे अन्य इफ्रांस्ट्रक्चर के क्षेत्र हो सभी मामलों में बहुजन शून्य की स्थिति में है देश के लिए यह बहुत अचरज भरा विषय है । रिक्शा कौन चलाता, खेतों में धान

उत्पादन कौन करता, कल-कारखानों में नौकरी कौन करता, ठेला कौन चलाता, असंगठित क्षेत्र में कौन काम करता, जूता कौन सीलता, भीख कौन मांगता । ये सारे बहुजन हैं इनमें ऊंची जाति का एक भी आदमी नहीं है । यह बताता है कि इतने वर्षों के बाद भी बहुजनों की स्थिति क्या है । इसीलिए मित्रो मैं आपसे बताने आये हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों का यह समान दायित्व है कि हिंदुस्तान को मजबूत बनाने के लिए 90 फीसदी लोगों को आपने कमजोर छोड़ दिया तो यह देश कभी मजबूत नहीं होगा ।

क्रमशः

टर्न-11/मुकुल/07.11.2023

क्रमशः

श्री भारत भूषण मंडल : देश में नीतियां किसके लिए बनाई जा रही हैं अडणी, अम्बानी के लिए । एक ऐसा मुल्क बनाया जा रहा है कि एक तरफ जब वर्ष 2014 में मोदी जी आये थे उस समय में अडानी की संपत्ति केवल 66 हजार करोड़ थी और पिछले 9 सालों में उसकी दौलत में कितना इजाफा हुआ, 14 लाख करोड़, यह कैसे संभव हुआ । गरीब आदमी जो खेतों में दिन-रात मेहनत करता है, कल-कारखानों में मजदूरी करता है, रिक्सा चलाता है, टैम्पू चलाता है, पसीना बहाता है वह लगातार गरीब होता जा रहा है । आप ये कैसी नीतियां बना रहे हैं । भारत सरकार आप देखिए जो कोरोना काल से लेकर आज तक, जो बहुत समृद्ध थे कांग्रेस पार्टी की नीतियों के कारण, अच्छी नीतियों के कारण बने थे आज वे लगातार नीचे जा रहे हैं । मित्रों, हम कहना चाहते हैं कि जो सामाजिक न्याय की बात है । सामाजिक न्याय तब तक नहीं होगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जातीय जनगणना पर बोलिए ।

श्री भारत भूषण मंडल : अध्यक्ष महोदय, मैं उसी पर बोल रहा हूं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप अपनी उपलब्धियों पर बोलिए ।

(व्यवधान जारी)

श्री भारत भूषण मंडल : मित्रों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो परिस्थिति है....

अध्यक्ष : आप इसी पर बोलिए ।

श्री भारत भूषण मंडल : महोदय, मैं उसी को बता रहा हूं । आप बीच में मत बोलिये, आप शांति बनाये रखिये । यह जातिगत आंकड़े से जुड़ा हुआ विषय है । मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि नीतियां बनाने के लिए....। आप जरा शांति बनाये रखें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप सभी लोग कृपया शांति बनाए रखें ।

श्री भारत भूषण मंडल : महोदय, 90 और 10 का जो अंतर है, यह कोई मामूली आदमी भी जानता है कि 10 परसेंट बड़ा है या 90 परसेंट बड़ा है । 90 परसेंट लोगों के हक में नीतियां बनाने से आपको कौन रोक रहा है । एक तरफ प्रधानमंत्री जी ओ0बी0सी0 की बात करते हैं, एक तरफ एस0सी0/एस0टी0 की बात करते हैं वह सब दिखावटी है । सारा काम कारपोरेट के हक में हो रहा है ।

(व्यवधान)

किसानों के उपज का लाभकारी दाम नहीं मिल रहा है, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की हालत दिन-प्रतिदिन खराब हो रही है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम कहना चाहते हैं कि इस बात को ध्यान में रखिए । महोदय, अब मैं कन्क्लूड करने की ओर बढ़ रहा हूं कि जातीय जनगणना के जो आंकड़े आये हैं उनको ध्यान में रखकर नीतियां बनाने की जरूरत है । यह जो आरक्षण की सीमा है, जो 15 परसेंट लोग हैं उनको 10 परसेंट रिजर्वेशन, यह कैसा न्याय है, यह किस तरह का काम है और जो 90 फीसदी लोग हैं उनके लिए केवल 27 परसेंट आरक्षण । मैं सरकार से मांग करता हूं कि 10 परसेंट लोगों से हमारा कोई विरोध नहीं है लेकिन 90 परसेंट आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की जरूरत है, आरक्षण 90 प्रतिशत हो । दूसरी बात जो तमिलनाडु का उदाहरण है और सरकार मुकम्मल तौर पर इस बात की व्यवस्था करे कि बहुजन के हक में आरक्षण की सीमा को 27 फीसदी से 90 फीसदी करने का प्रस्ताव बिहार विधान मंडल से केन्द्र सरकार को भेजा जाय और सभी क्षेत्रों में नीतियां बनाकर के बहुजनों के उत्थान और प्रगति को सुनिश्चित करे । इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं, इंकलाब जिंदाबाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजेश कुमार, इंडियन नेशनल कांग्रेस ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आज के....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बातों को बोलिए, इधर-उधर मत देखिए । आप आसन की तरफ देखिए और अपनी बातों को बोलिए ।

श्री राजेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर आज जो यहां पर वाद-विवाद शुरू कराई गई, यह हमारी सरकार की स्वस्थ परंपरा का यह प्रमाण है । सर्वप्रथम यहां पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सदन के तमाम विधायी सदस्यों को भी मैं बधाई देता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण जनगणना कराई गई । इस जातीय जनगणना की आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसा कि यहां पर दो शेर के माध्यम

से मैं आगे अपनी बातों को रखना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने वर्ष 2021 में यह प्रस्ताव लाया था और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय जनगणना को स्वीकार किया तो यह कहा जा सकता है कि-

हमारी राहों में बबूल बहुत हैं,

ऊपर से वसूल भी बहुत हैं ।

जब यह गणना शुरू हुई तो न जाने बिहार में कितनी तरह की भ्रांतियां या जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बता रहे थे कि जब जनगणना शुरू हुई तो जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय हाईकोर्ट में जिस तरह से इस जनगणना का विरोध किया गया यह शायद उनके लिए वसूल भी बहुत थी, इनके लिए करने का । दूसरी तरफ यह है कि-

बंदा इस तरह से जोर से बोले कि सच भी घबराने लगे ।

जब जनगणना हुई, माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से यहां पर जब बाधा आई तो कुछ दिनों के लिए हमारी जनगणना रुक गई, लेकिन यहां पर बैठे हुए तमाम लोगों को यह सोचने की आवश्यकता थी और वह आवश्यकता है कि बाबा साहब के दिये हुए संविधान में जब हम यह निर्णय लिये कि वर्ष 2021 में भारत सरकार को यह जनगणना कराने की आवश्यकता थी । लेकिन आज जो जनगणना भारत सरकार को कराना चाहिए था, आज बिहार सरकार ने अपने कम संसाधन में, बिहार एक मॉडल बना है जातीय जनगणना का और इसके माध्यम से गरीबों को लाभ मिलने वाला है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता । हम बहुत बार गुजरात मॉडल की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह से जातीय जनगणना के माध्यम से गरीब को, पिछली पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जो हक मिलने जा रहा है यह बिहार को भी मॉडल के रूप में विपक्षियों को स्वीकारना चाहिए । यह समझने की आवश्यकता है कि आपकी केन्द्र में अपार बहुमत है, आप एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के माध्यम से वोट ले लेते हैं, आप पूरे देश में वर्ष 2014 में आपने ओ0बी0सी0 की राजनीति करके वोट लेकर अपार बहुमत प्राप्त किया और आज ऐसी कौन सी बात आ पड़ी है कि आप ओ0बी0सी0 की बातों से, दलितों को हक देने की बातों से, बाबा साहब के दिये हुए संविधान में अधिकारों में कटौती करने में आप विश्वास रखते हैं और बिहार को मॉडल बनने से रोकते हैं । आपको यदि ज्यादा चिंता है तो आप पूरे भारत में जातीय जनगणना कराने से क्यों डरते हैं । आपको चूंकि डर है कि यहां पर कहीं-न-कहीं बहुजन की बात होने लगेगी और कहीं-न-कहीं पिछली पंक्ति के लोगों को हक मिलने

लगेगा तो हमारा सेंटिमेंटल मुद्दा, हमारा हिंदुत्व का मुद्दा पीछे हो जायेगा और गरीबों की बात होने लगेगी । इसलिए हमारे मौलिक अधिकार, बाबा साहब के दिये हुए संविधान का यदि हम पालन करना चाहते हैं तो बिहार एक मॉडल बन चुका है और आने वाले चार राज्यों में यदि कांग्रेस की सरकार बनी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि बिहार का अनुकरण करते हुए इन चार राज्यों में भी जातीय जनगणना का काम शुरू होगा । आने वाले समय में जिस तरह से इंडिया गठबंधन, हम चट्टान की तरह धार्मिक उन्माद फैलाकर, लोगों को भाई-भाई में बांटकर के और....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाए रखें । अगर कोई बोलते हैं तो उसे सुनिए । आपको इसे सुनना चाहिए । सुनना चाहिए और इससे कुछ सीखना भी चाहिए । अच्छी बातों को ग्रहण भी करना चाहिए ।

श्री राजेश कुमार : आप जिस तरह से एक जाति, यादव को टारगेट करने का काम किया है, मुस्लिम को टारगेट करने का काम किया है । आपको समझने की आवश्यकता है कि आप समझने में देर कर दिया और ज्यादा अच्छा होता, आपने बिहार को मॉडल बनने से रोकने में, आप शराबबंदी का यहां पर काम किया था, आपने भी शपथ लिया था लेकिन आज शराबबंदी पर आप ही सबसे ज्यादा हो-हल्ला करते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि बदमाशी करने वाले का कोई अंत नहीं है, बदमाशी थोड़ी-बहुत हो जाती है ।

क्रमशः

टर्न-12/यानपति/07.11.2023

श्री राजेश कुमार (क्रमशः) : माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि बदमाशी करनेवालों का कोई अंत नहीं है, बदमाशी थोड़ा-बहुत हो जाता है लेकिन जिस तरह से गरीबों की आय बढ़ी है, जिस तरह से घरेलू हिंसा रुकी है उसके लिए आपको समझने की आवश्यकता है और मन ही मन समझते भी होंगे, यह भी मुझे पता है और भारत सरकार अपार बहुमत का है, आज हमारे गरीबों के लिए यदि इतनी जातीय जनगणना का आप यदि विरोध करते रहिएगा तो आप जो है भारत सरकार में जो ग्रामीण विकास विभाग का 12 सौ करोड़ रुपया बाकी रखे हैं, गरीबों के लिए दे दीजिए और समय के साथ.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठिए, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए । यहां कोई सिस्टम आपलोगों को नहीं बनाना है क्या ?

श्री राजेश कुमार : मैं आपलोगों को सीधी चुनौती देता हूं कि यदि आप पिछड़ों के हितैषी हैं, यदि दलितों के हितैषी हैं, यदि आप अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं और अपर कास्ट में ब्राह्मणों के यहां भी गरीबी है, यदि उनका आप हित चाहते हैं तो जातीय जनगणना का आपको विरोध नहीं करना चाहिए, आपको जातीय जनगणना में माननीय मुख्यमंत्री जी पर, माननीय तेजस्वी यादव जी पर इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए कि आपने टेंप्लेट किया है, इन्हीं चंद के शब्दों के साथ अंत में मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी ने आपसे सीधा सवाल किया है कि ओ0बी0सी0 के बारे में आप क्यों नहीं बात करते, आप जो है आनेवालों में, दलितों की बात नहीं करते और जिस दिन इंडिया गठबंधन आया, इंडिया गठबंधन जिस दिन आएगी, आनेवाले समय में जब भारत में सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी ।

अध्यक्ष : राजेश बाबू, आप स्थान ग्रहण करें, आपका समय खत्म हो गया । माननीय सदस्य श्री प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी ।

श्री प्रेम कुमार : अध्यक्ष महोदय, सदन में जातीय जनगणना पर अपनी बात चंद पंक्तियों में शुरू करना चाहता हूं । जो करते रहे हैं पिछड़ों-अतिपिछड़ों के अधिकारों का कत्लेआम, वही आज मरहम लगाने का नाटक करते हैं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रकाश के रास्ते पर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । हमें ही कातिल करना चाहते हैं बदनाम । अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहेंगे महोदय आज के इस डिबेट में, इनका जो भाषण होगा बताएं हम सबों को कि आज क्या कारण है कि बिहार जातीय जनगणना मैं देख रहा हूं कई जातियों की संख्या कम दिखाई गई है उसमें धानुक, कुशवाहा, चंद्रवंशी, माली-मालाकार, बहेलिया, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ ऐसी कई जातियों में महोदय आबादी से कम दिखाया गया है । 1931 की जनगणना और 2023 के जातीय सर्वे के अनुसार बिहार में संख्या मैं देख रहा हूं तो काफी कम दिखाया गया है, हम सदन को बताना चाहते हैं कि आपने ब्राह्मण आबादी को 1931 में 5.5 परसेंट दिखाया गया है और 92 साल बाद घटाकर 3.7 परसेंट दिखाया जा रहा है, राजपूतों की संख्या 1931 में 5 प्रतिशत दिखाया था अभी 2023 में दिखा रहे हैं 3.5 प्रतिशत, कायस्थों का 1.3 प्रतिशत उस समय था और 92 साल बाद घटकर 0.6 प्रतिशत हो गया है, भूमिहार परिवार का मैं देख रहा हूं 3.6 हुआ करती थी उनकी आबादी, आप दिखा रहे हैं 2.9, इस तरह महोदय मैं

देख रहा हूं कि लगभग पिछड़ी जातियों में जो-जो मैं देख रहा था कि जातिगत सर्वे में ऐसी जातियों की चर्चा मैं करना चाहता हूं कि बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी किए गए हैं, इन आंकड़ों का संकलन सामान्य प्रशासन की ओर से कराया गया है । इससे पूर्व सामान्य प्रशासन की ओर से ही 2013, 2015 और 2016 में बहेलिया, चंद्रवंशी, माली-मालाकार जातियों का इथनोग्राफी अध्ययन कराया गया था । जातीय जनगणना रिपोर्ट मैं देख रहा हूं आबादी के हिसाब से, उस समय जो आबादी थी, बहेलिया का मैं देख रहा था 67535 थी और आज 2023 में 8026 दिखाया जा रहा है । उसी तरह चंद्रवंशी समाज का मैं देख रहा हूं उस समय जो रिपोर्ट जारी की गई थी उस समय टोटल आबादी दिखाई गई थी 30 लाख 32 हजार 800 और अभी दिखाया जा रहा है 2023 में 21 लाख 55 हजार, यानी महोदय इतना कम कैसे हो गया आंकड़ा । उसी तरह महोदय हम कहना चाहते हैं माली-मालाकार समाज को 13 लाख 15 हजार 665 दिखाया गया था वहीं 2023 की रिपोर्ट में 3 लाख 49 हजार दिखाया जा रहा है । इस तरह से अति पिछड़ी जातियों को और सवर्ण जातियों को जो कम करके दिखाया गया है इसका भारतीय जनता पार्टी जवाब चाहती है कि बताएं कि क्या कारण है, अन्य जातियों की संख्या बढ़ी है, अति पिछड़ों की संख्या कम हो गई, सवर्णों की संख्या कम हो गई, हम चाहते हैं कि आज जो जातीय सर्वे रिपोर्ट पेश हुआ है उसमें सारा का सारा श्रेय हम सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी, एन0डी0ए0 की सरकार थी । महोदय, सरकार ने फैसला लिया था, उस समय सरकार में हम थे उसी समय जातीय जनगणना कराने का फैसला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था । उसी तरह महोदय जब-जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, हमें चिंता थी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे जो लोग हैं, जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का सपना था उन सपनों को साकार करने का हमने काम किया है । हम याद दिलाना चाहते हैं सदन को 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और जनता पार्टी की सरकार में जनसंघ पार्टी विलय हुआ था जाकर के और उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया । हम 90 भी याद दिलाना चाहते हैं कि लालूजी को भी हमारी सरकार ने उस समय 1990 में जब गैर कांग्रेसवाद की सरकार बिहार में बनी थी, लालूजी मुख्यमंत्री बन रहे थे भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को लगातार हमलोगों ने समर्थन देकर के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है । संख्या हमारी महोदय ज्यादा थी, हमारे विधायकों की संख्या ज्यादा थी, विधायक की संख्या के बावजूद भी हमने माननीय

मुख्यमंत्री जी को सम्मान देने का काम किया था । हम जो कहते हैं वह करते हैं और अब याद दिलाना चाहता हूं कि यह कांग्रेस के लोग जो बात कर रहे हैं, महोदय, हम याद दिलाना चाहते हैं आजादी के बाद लगातार, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही, जवाहर लाल नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह सरकार तक.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समापन पर है इसलिए कंक्लूड, जो महत्वपूर्ण बात है वह आप कह दीजिए ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, जहां तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, महोदय 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसी विधान सभा में प्रस्ताव आया था, विधेयक पास हो रहा था, विधेयक में संशोधन के लिए हमने प्रस्ताव दिया था, हमने मांग किया था कि सरकारी नौकरियों में जननायक कर्पूरी जी ने आरक्षण की व्यवस्था किया है, उस समय सरकार लालूजी की थी महोदय, तैयार नहीं हुए, हम कोर्ट गए और कोर्ट में हम इंतजार कर रहे थे, हमने कहा कि हमारी सरकार जब बिहार में आएगी हमने निश्चित तौर पर 2005 में सरकार बनाई, एन0डी0ए0 की सरकार बनी, भाजपा-एन0डी0ए0 की जब सरकार बनी महोदय 2005 में तो हमलोगों ने पंचायती राज निकाय चुनाव में अतिपिछड़ों को सम्मान देने का काम किया । महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बिहार में भी आरक्षण देने का काम किया है । लालूजी को मौका मिला, 15 साल लालूजी को मौका मिला वह एक पिछड़ा वर्ग के थे । उस समय कांग्रेस से ऊब गए थे लोग, अतिपिछड़ा परिवार चाहता था कि बिहार में बदलाव हो । महोदय, लालूजी की सरकार बनी, अतिपिछड़ों ने वोट देने का काम किया उसको लालूजी ने जिन्न कहकर पुकारने का काम किया, अतिपिछड़ों को अपमानित करने का काम किया । महोदय, समय बदलता है, 15 वर्षों में लालूजी ने क्या किया तो मात्र अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया.....

अध्यक्ष : भारत भूषण जी बोल रहे थे, आखिर संदर्भ में बोल रहे थे तो उनको आपलोग टोक रहे थे, अब लालूजी की बात आप क्यों बोल रहे हैं ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, बिहार के अतिपिछड़ों को जिन्न कहकर, 15 वर्षों तक वोट लेकर राज्य का सुख भोगनेवाले लालू प्रसाद उनके परिवार को बिहार में या केंद्र में अतिपिछड़ा याद नहीं आया । कांग्रेस ने मुंगेरीलाल आयोग, मंडल आयोग का विरोध किया.....

अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हुआ, आप स्थान ग्रहण करें । श्री रामविलास कामत, जनता दल यूनाइटेड, आप अपनी बात बोलें ।

श्री प्रेम कुमार : महोदय, हम कंक्लूड कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें, वह तो समय बताएगा । माननीय सदस्य, श्री रामविलास कामत जी । आप बोलिए ।

टर्न-13/अंजली/07.11.2023

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय जाति गणना पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद जी के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं । आज जो यह जाति जनगणना का प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किया गया है और इस पर हमलोग चर्चा कर रहे हैं यह जाति गणना का प्रतिवेदन वैसे तैयार नहीं हुआ है । अध्यक्ष महोदय, कहते हैं, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, काफी अनुभवी और लंबे समय से इस सदन के वे सदस्य रहे हैं । वे एक बात हमेशा कहा करते हैं कि -

''कोई काम नहीं है मुश्किल,
जब किया इरादा पक्का ।''

अध्यक्ष महोदय, आज इन बातों को चरितार्थ होते हुए हमने इस सदन में देखा है । हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी और बिहार की सरकार ने जो इरादा पक्का किया उसी का नतीजा है कि आज जाति गणना तैयार हो सका और बिहार में जाति जनगणना पूर्ण होकर आज सदन के पटल पर रखा जा सका है । अध्यक्ष महोदय, यह जातीय गणना कोई मामूली गणना नहीं है, इसको कराने के लिए कई बाधाएं हमलोगों ने देखी है, पूरे बिहार की जनता ने देखी है कि इसको कराने में कई बाधाएं उत्पन्न की गई हैं । हमलोग जानते हैं, सभी लोग देखे हैं चाहे उच्च न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे उच्चतम न्यायालय के माध्यम से हो इसको रोकने का बारंबार-बारंबार प्रयास किया गया और कई बार तो उच्च न्यायालय के माध्यम से इसको स्थगित भी किया गया था, लेकिन हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी, बिहार की सरकार का जो संकल्प रहा उन्होंने जो इसको प्राथमिकता के तौर पर कराने का निर्णय लिया उसी का परिणाम हुआ कि आज यह जातीय गणना होकर के सदन के पटल पर आ सका है । मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, जिनका यह निर्णय

आज पूरे देश में, सभी राज्यों में इसकी मांग हो रही है कि जातीय गणना सभी राज्यों में हो, ये बातें राष्ट्रीय स्तर पर उठनी अब शुरू हो गई है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे नेता श्री नीतीश जी जो निर्णय किये हैं, जो आर्थिक गणना करवाए हैं इसका जो फलाफल होगा आने वाले समय में बिहार के उन गरीबों को, उन वंचितों को, दलित-महादलित, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को इसका जो लाभ मिलेगा वह हमलोग अभी सोच सकते हैं कि जिस तरह के आंकड़े आज यहां पर आये हैं और उस पर जो काम होना है, उससे यहां के लोगों को कितना लाभ होगा । अध्यक्ष महोदय, हमलोग जब बचपन में थे तो समाजवादियों की रैली में भाषण सुनने के लिए जाया करते थे, जब हमलोग भाषण सुनने के लिए जाते थे समाजवादियों की रैली में तो मंच से एक नारा हमेशा बार-बार सुनने को मिलता था कि-

''संसोपा ने बांधी गांठ,
पिछड़ा पावे सौ में साठ
और जिसकी जितनी भागीदारी
उसकी उतनी हिस्सेदारी ।''

अध्यक्ष महोदय, जब यह नारा मंच से लगता था तो तालियां भी खूब बजती थीं, तालियां भी बजती थीं और जिंदाबार के नारे भी लगते थे लेकिन उस समय में हमलोग इस बात को समझ नहीं पाते थे कि ये समाजवादी नेता क्या कहना चाहते हैं और इनका मतलब क्या है कि ''संसोपा ने बांधा गांठ, पिछड़ा पावे सौ में साठ'' समझ नहीं पाते थे लेकिन बीते समय में जब हमलोगों ने इसको महत्वपूर्ण समझा और इस पर विचार किया, इसको समझने का प्रयास किया तो हमलोगों ने देखा और पाया कि ये जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो समाजवाद को मानते हैं, जो गरीब-गुरबा के हित में काम करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए यह मांग ये लोग करते थे जिस पर तालियां भी खूब बजती थीं और जिंदाबाद के नारे भी खूब लगा करते थे । अध्यक्ष महोदय, जातीय गणना का जो प्रतिवेदन आज यहां पर सदन में उपस्थापित किया गया है अध्यक्ष महोदय, अगर इसके आंकड़े को हमलोग सरसरी निगाह से देखें, इनमें जिन बातों की चर्चा की गई है, जितने आंकड़े इसमें जुटाये गये हैं और उसकी सार्थकता के बारे में हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बताये थे कि किस तरह से यह सत्यापित है, ये आंकड़े कैसे सत्यापित हैं कई ऐसे उदाहरण उन्होंने बताये हैं जिसके आधार पर इसको सत्य माना जा सकता है और इसमें जो त्रुटियां हैं उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की है ।

अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, इस जातीय गणना...

अध्यक्ष : आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं लेकिन अब समय समाप्त हुआ ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ एक बात की चर्चा करना चाहता हूं कि कल का यह अखबार हमारे हाथ में है, यह हिंदुस्तान अखबार है जिसमें लिखा है सर्वे में यादव, मुसलमानों को बढ़ा कर दिखाया गया है । यह दूसरा अखबार हमारे हाथ में है प्रभात खबर की प्रति, जिसमें दिखाया गया है कि जाति सर्वेक्षण में गड़बड़ी मुस्लिमों और यादवों की आबादी बढ़ाकर दिखाई गई है । कहने का साफ मतलब कि हमारे देश के गृहमंत्री जी परसों मुजफ्फरपुर में आए थे और उन्होंने वहां पर जो बातें कहीं, जिन बातों को हेडलाइन बनाया है हमारे अखबार में...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, इसमें सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े बताये गये हैं...

अध्यक्ष : आप अपनी बात आंकड़ा उद्धृत करके बता दिये । अब बैठ जाइए ।

श्री रामविलास कामत : अध्यक्ष महोदय, ये जो आंकड़े बताये गये हैं, किस आधार पर हमारे गृहमंत्री जी बताये हैं इसका खुलासा सदन में होना चाहिए । मैं इन बातों की चर्चा करना चाहता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप बैठ जाइए । माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह, सी0पी0आई0(एम0एल0) । अजीत जी को सुनिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम सब बहुत ही ऐतिहासिक समय का गवाह बन रहे हैं और मैं समझता हूं कि बिहार जनता भी आज के इस बिहार विधान सभा के सत्र को बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है । निश्चित तौर पर बिहार की सरकार ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में निश्चित तौर पर आज के इस विषय को, आज जो जाति आधारित गणना प्रकाशित हुआ है इसको एक मील के पत्थर के रूप में हमें देखना चाहिए । माननीय अध्यक्ष महोदय, जातिगत जनगणना, जातिगत गणना, जाति वर्ग गणना हमारे हाथ में है ।

अध्यक्ष : अजीत जी, आज भूमिका में न जाइए, मुख्य-मुख्य बातें बोलिए, इसलिए कि मात्र छः मिनट में ही आपको अपना भाषण समाप्त कर देना है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जब मैं अपने विपक्षी नेताओं की बात को सुन रहा था तो सुन के ऐसा ही लग रहा था कि वे तो गुड़ तो खाना चाहते हैं लेकिन गुलगुले से परहेज कर रहे हैं । यह तो अजीब बात है । अध्यक्ष महोदय, जाति आधारित गणना प्रकाशित हुई, आर्थिक सवेक्षण की रिपोर्ट हमारे हाथ में है हम

उसको देख रहे थे । जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई उसको देखने से ऐसा महसूस हो रहा है कि आज भी, आजादी के 75 साल के बाद भी गरीबों की क्या स्थिति है, कौन-कौन जातियों में ज्यादा गरीब लोग हैं, किन-किन जातियों में कितने बच्चे हैं जो अशिक्षित हैं, असंगठित क्षेत्र में कौन हैं जो काम करने वाले लोग हैं, जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं । आज पूरे बिहार की तस्वीर पेश हो रही है । महोदय, मुझे इस बात को कहने में कोई शंका नहीं है कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जो ई0डब्लू0एस0 को आरक्षण दिया, निश्चित तौर से कहीं से भी वह जायज नहीं है, वह गलत तरीके से देश में दिया गया है । आज यह जाति आधारित जनगणना बता रहा है कि 10 परसेंट जिनकी आबादी है उनको 10 परसेंट आरक्षण देकर के आरक्षण की 100 प्रतिशत कोटि उनके हाथों में थमा दी गई है और 90 प्रतिशत आबादी के पास कुछ भी नहीं है, उनके पास ''ढाक के तीन पात हैं ।'' महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस आंकड़े को देखकर और समझकर हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि जो ई0डब्लू0एस0 लागू हुआ है वह कहीं से न्यायोचित नहीं है, वह अन्यायपूर्ण है और उसको खत्म करने की बात बिहार विधान सभा से करनी चाहिए, उसको खत्म करने का प्रस्ताव बिहार विधान सभा से पास करने की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं सभी आंकड़ों के बावजूद बिहार भर में जमीन का आंकड़ा भी आना चाहिए था । महोदय, किसके पास, किस जाति के पास कितनी एकड़ जमीन है, किस जाति में कितने बड़े-बड़े काश्तकार हैं और कौन-सी ऐसी जातियां हैं जो बिल्कुल ही भूमिहीन हैं इस पर भी एक बात आनी चाहिए थी महोदय । आज जब हम गांव में घूमते हैं तो देखते हैं मुसहर समाज में चले जाइए, मांझी समाज में, दलित-महादलित के मोहल्लों में चले जाइए, आपको हजारों-लाखों लोग मिलेंगे जो बिल्कुल भूमिहीन हैं, जिनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है और ऐसे भी लोग हैं जो आज भी सैकड़ों एकड़ जमीनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं महोदय, इसलिए आर्थिक सर्वेक्षण में यह बात आनी चाहिए । निश्चित तौर पर बिहार के लोगों को यह जानकारी होती कि जिनकी संख्या ज्यादा है उनके पास कितने संसाधन हैं और कौन-से वे लोग हैं जो देश के तमाम संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हुए हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-14/सत्येन्द्र/07-11-2023

श्री अजीत कुमार सिंह: (क्रमश:) महोदय, हम देख रहे हैं चाहे वह वकालत का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में कुछ खास जाति के लोगों का ही कब्जा है महोदय । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं और जब हम इस संकल्प को दोहराते हैं कि देश में सामाजिक न्याय स्थापित होना चाहिए तो सामाजिक न्याय के तमाम आयामों पर हमें बात करनी चाहिए ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अजीत कुमार सिंह: महोदय, एक शेर है छोटा सा, दो लाईन का..

अध्यक्ष: शेर सुना दीजिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह: सुन लीजिये महोदय, एक लाईन का है ।

अध्यक्ष: सुनाईए, शेर सुनाईए । क्रांतिकारी शेर होना चाहिए ।

श्री अजीत कुमार सिंह: क्रांतिकारी ही है ।

यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल,
न उनकी रश्म नहीं है न अपनी रीत नहीं है,
यूं ही हमेशा हमने खिलाया है आग में फूल,
न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं है ।

अध्यक्ष: बहुत अच्छा ।

श्री अजीत कुमार सिंह: धन्यवाद महोदय, शुक्रिया ।

श्री नन्द किशोर यादव: अध्यक्ष महोदय, जो जाति सर्वे की रिपोर्ट आज पेश की गयी है, मैं उसके बारे में अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ । मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपको इतने दिनों के बाद पता चल रहा है कि 34 प्रतिशत गरीब बिहार के अन्दर है। आप तो उस पार्टी के लोग हैं जो लगातार नारा लगाते थे 100 में 60,यह बात जब आप जानते थे और उसके आधार पर ही राजनीति करने का निर्णय आपने लिया था तब आपको इस बात का ज्ञान नहीं था इसलिए इस आंकड़े के अन्दर जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों की ओर आपका ध्यान जाना चाहिए । मेरे कई मित्रों ने इस बात की चर्चा की, कई जातियों के लोगों के कहा कि हमारे आंकड़े कम दर्शाये गये हैं । आप इससे असहमत हो सकते हैं लेकिन यह कोई पोलिटिकल पार्टी का विचार नहीं है, कोई भाजपा के लोग नहीं कह रहे हैं समाज के कई वर्गों के लोग कह रहे हैं । महोदय, अगर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है तो उसका समाधान करना सभी सरकारों का कर्त्तव्य है और मुझे लगता है, मैं सुझाव देना चाहता हूँ आपको कि जो आप एकमुश्त राज्य के आंकड़े प्रकाशित किये हैं

अगर आप इसको पंचायत वाईज कर देते हैं, शहर में बार्ड वाईज कर देते तो लोग अपने आंकड़े देखकर संतुष्ट हो सकते थे । अगर आप कहते हैं कि हमने एक्यूरेट आंकड़ा दिया है तो उसे देखकर वे लोग संतुष्ट हो सकते थे लेकिन आपने लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया चूंकि आप इसमें राजनीति करना चाहते हैं । महोदय, दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूॅ । मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूॅ आप बार-बार अति पिछड़ा की बात करते हैं, मुझे मुख्यमंत्री जी आप पर आश्चर्य हो रहा है कि आगे की पंक्ति में एक भी अति पिछड़ा जाति के मंत्री को नहीं बैठाते हैं आप और आप कैसे अति पिछड़ा के हिमायती होने का दावा करते हैं । आप कैसे दावा करते हैं इसका, किसके संगत में आप पड़ गये हैं मुख्यमंत्री जी कि आपका यह हाल करवा दिया । यहां देखिये, देख लीजिये यहां महोदय, यह सोचने का विषय है । मैं एक बात महोदय, कई बातों पर अंतर्विरोध है आप पूरे आंकड़ों को देखेंगे, महोदय हम आंकड़े पर जाना चाहते हैं, बार बार आपने एक बात का जिक्र किया कि साक्षरता दर आपने बढ़ा दिया । साक्षरता दर बढ़ाना केवल ये उद्देश्य नहीं हो सकता है महोदय, क्योंकि आपने ही तय किया है आरक्षण है पिछड़ी जाति को भी है, अति पिछड़ा को भी है ,एस0सी0 को भी है एस0टी0 को भी है उनको आरक्षण तो है लेकिन उन आरक्षण की श्रेणी में लोग नहीं मिल रहे हैं । इस पर कभी विचार किया आपने कि क्यों नहीं लोग मिल रहे हैं । आपने इस बात का दावा किया था कि हम विद्यालयों से लोगों के बीच में छोड़ने की परम्परा को समाप्त करेंगे, यह आपने दावा किया था । महोदय, मैं आपके सामने आंकड़ा रखना चाहता हूॅ यह मेरा आंकड़ा नहीं है, यह आपके आकड़े हैं, आपकी रिपोर्ट के आंकड़े है- प्लस टू पास करने वाले लोग पूरे बिहार में केवल 9.19 प्रतिशत है केवल और उसमें भी आप देखेंगे तो पिछड़ा वर्ग 8.69 है, अति पिछड़ा 7.95 है एस0सी0 के लोग 5.76 प्रतिशत है और एस0टी0 के लोग 7.48 प्रतिशत हैं , यह प्रतिशत में है। मैं संख्या नहीं बतला रहा हूॅ, कैसे कोई नौकरी लेगा आपने क्या किया है आपने न्यूनतम योग्यता चपरासी का भी प्लस टू किया है आपने सिपाही का भी न्यूनतम योग्यता प्लस टू किया है तो न्यूनतम योग्यताधारी भी अगर संख्या में कम हैं तो केसे उनका भला हो सकता है, कैसे वे आगे बढ़ सकते हैं । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूॅ महोदय, आपके यहां स्नातक का हाल क्या है - कुल मिलाकर आपके यहां जो स्नातक हैं वह 6.11 प्रतिशत है । यह क्या है ? आप अगर देखेंगे तो डॉक्टर, स्नातक चिकित्सा में लोग हैं केवल 0.06 प्रतिशत है । आप इंजीनियरिंग में देखें तो केवल 0.30 प्रतिशत हैं । महोदय मैं इन आंकड़ों का जिक्र आपके सामने इसलिए कर रहा हूॅ हम इनके लिए बड़ी बड़ी योजना बनायें,

आप चाहें तो आरक्षण की सीमा बढ़ा दें हम समर्थन करेंगे । आप बढ़ा लीजिये इसको 40 कर लीजिये, 60 कर लीजिये । भारतीय जनता पार्टी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सवाल मूल यह खड़ा होता है कि कैसे उनको रोजगार मिलेगा, कैसे उनको नौकरियां मिलेगी । जबतक वे डिग्री ही प्राप्त नहीं करेंगे तो नौकरियां कैसे प्राप्त करेंगे इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूॅ कि केवल साक्षरता दर की संख्या बता देने से आप प्रफुल्लित नहीं होइए, आप दिग्भ्रमित नहीं होईए मूल भावना की ओर जाईए । मैं अलग अलग जातियों का विवरण नहीं दे रहा हूॅ चूंकि मेरे पास उतना समय नहीं है लेकिन मैं एक बात और कह रहा हूॅ, एक मित्र हमारे कह रहे थे आपने कुल मिलाकर 63840 आवासहीन परिवारों की संख्या दी है अभी हमारे कई मित्र यहां है, सी0पी0आई0 के हैं, सी0पी0एम0 के हैं वे भी मेरे साथ अभी कमिटी के दौरे पर गये थे, मैं 6 जिलों के दौरे पर गया था उसमें आपका समस्तीपुर था, दरभंगा था, कटिहार था, भागलपुर था ,बेगुसराय था, खगड़िया था इन सब जिलों से घुमकर आया तो जो हमारे कमिटी के मेम्बर हैं, माननीय सदस्यों ने चर्चा की क्या हाल हे सर्वे का, आपने जो वसेरा-2 बनाया है उसकी चर्चा मैं कर रहा हॅू, कुछ हो ही नहीं रहा है और आप केवल 63840 ही उनकी संख्या बतला रहे हैं, ये भूमिहीनों के साथ अन्याय है। आप उनको जमीन नहीं देने की मंशा रखते हैं इसलिए इस आंकड़े की बात करना चाहते हैं । मैं आपसे कहना चाहता हॅू आप ठीक से सर्वे कराईए । आज भी इस राज्य के अन्दर भूमिहीनों की संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों लोग ऐसे हैं मैं उनकी इस बात से सहमत हॅू और आपने 5 डी0 जमीन देने का जो वायदा किया है उस वायदा को आप पूरा कीजिये, यही मैं आपसे आग्रह करना चाहता हॅू । अभी कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इस पर कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं इस सवाल पर पिछड़ा, अति पिछड़ा पर, कांग्रेस के लोगों को बोलने का क्या अधिकार है अरे भाई जब इस राज्य के अन्दर

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप लोग शांति बनाये रखिये। यह इनका अपना विचार हो सकता है आपलोग सुनिये ।

श्री नन्द किशोर यादवः महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से अवगत हैं, आप भले डिफर कर सकते हैं चौधरी जी लेकिन मुख्यमंत्री मतभेद नहीं रख सकते हैं मेरे विचार से । आप याद कीजिये आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार देश के अन्दर बनी तो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, उसकी सूची बनाईए जाय इसके लिए काका कालेकर आयोग बना । आपको बताना चाहिए, कांग्रेस के मित्रों को जो आप

पिछड़ों की बात करना चाहते हैं तो काका कालेकर आयोग की रिपोर्ट को क्यों नहीं लागू किया आपने ? इस बात पर उनको जवाब देना चाहिए, तब पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करनी चाहिए । आप बात करते हैं ,आप कैसी कैसी बात करना चाहते हैं, महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, आप जो जो पूछेंगे उसका जवाब दूंगा । महोदय, मुझे बोलने दिया जाय, समय मत किल कीजिये, मेरे पास सब कागजात है महोदय, जो सवाल खड़ा करेंगे उसका मैं जवाब दूंगा । ये प्रश्न कर रहे हैं कि देश भर में जनगणना होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: मैं चाहता हूँ कि सभी पक्ष के लोग जो हैं शांतिपूर्ण तरीके से आपकी बात को सुने। यही लोग थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं।

श्री नन्द किशोर यादव: महोदय, मैं इनको बतलाना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान में होगा । उपमुख्यमंत्री जो को ध्यान में नहीं होगा चूंकि उस समय वे कितने उम्र के होंगे मुझे मालूम नहीं है । महोदय, याद होगा आपको, देश में जाति आधारित गणना हो इसकी चर्चा कोई आज नहीं हुई है और देश के इस सवाल पर देश के गृह मंत्री श्री पी0 चिदंबरम ने क्या वक्तव्य दिया है महोदय, 7 मई, 2010 को, मैं उसका विवरण आपके समक्ष रखना चाहता हूँ । उन्होंने कहा है कि रजिष्ट्रार जनरल ने जाति जनगणना के दौरान बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाईयों का उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र और राज्यों की अपनी अपनी ओ0बी0सी0 की सूची है । कुछ राज्यों के पास ओ0बी0सी0 की कोई सूची नहीं है कुछ राज्यों में ओ0बी0सी0 के साथ अति पिछड़ा वर्ग के समुह की सूची है और उन्होंने यह भी कहा कि जाति वर्गीकरण के संबंध में एक राज्य दूसरे राज्य से ..

(व्यवधान)

अरे भाई, सच्चाई सुनने का साहस करो। मैं लोकसभा की प्रोसिडिंग को पढ़ रहा हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय नन्द किशोर बाबू, आपका 10 मिनट था । आपने शुरू किया 3.12 में किया ।

श्री नन्द किशोर यादव: आप कहिये तो मैं बैठ जाता हूँ यह अलग बात है।

अध्यक्ष: मैं कह रहा हूँ कि जो कहना है वह कहिये, क्यों ताक रहे हैं इधर उधर ।

श्री नंद किशोर यादव: लेकिन महोदय बोलने बाले का आप आबाज बंद मत कीजिये। मैं देश में जाति जनगणना की बात कह रहा हूँ। जाति गणना हो देश के अंदर, इसका विरोध श्री चिदंबरम साहब ने 7 मई 2010 को कांग्रेस के नेता ने लोक सभा में किया था।

(क्रमशः)

टर्न-15/मधुप/07.11.2023

...क्रमशः..

श्री नन्द किशोर यादव : और महोदय, इसीलिए आपको याद होगा, आपको इसीलिए याद होगा। बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ध्यान में होगा कि जातीय गणना छोड़कर आर्थिक सर्वे करने की बात, सामाजिक सर्वे करने की बात आयी, सामाजिक-आर्थिक सर्वे का भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ । क्यों नहीं हुआ ? मैं इसका जवाब उनलोगों से जानना चाहता हूँ जो लोग भारतीय जनता पार्टी को आरोपित करना चाहते हैं । महोदय, केवल इसलिये नहीं हुआ, वह पूरा त्रुटिपूर्ण था। मैं कहना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि गणना की बात करते हैं । कर्नाटक में गणना हुई, क्यों नहीं कांग्रेसी सरकार ने रिपोर्ट प्रकाशित किया ? जवाब देना चाहिए उनको, महोदय । जो लोग हर समय पिछड़ों के विरोधी थे, अति पिछड़ों के विरोधी थे, गरीबों के विरोधी थे, आज वे लोग अगर चिल्ला कर कहना चाहते हैं कि वे गरीब की भलाई करने की बात करते हैं तो धोखा देने का काम करते हैं ।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री नन्द किशोर यादव : एक मिनट, महोदय । समाप्त तो कर लेने दीजिये । महोदय, मैं कहना चाहता हूँ...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । आप स्थान ग्रहण कीजिये माननीय सदस्य । इनका समय समाप्त हो गया है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ चूंकि पूरा कार्यक्रम आपने सुझाव के लिए रखा है, मैं सुझाव देना चाहता हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह संशय मिटाइये । अच्छा काम हुआ है, हमारे समर्थन से ही हुआ है लेकिन हुआ तो है । यह अच्छा काम हुआ है तो जो संशय कुछ जातियों के मन में पैदा हुआ है विशेष करके अति पिछड़ी जाति के लोगों में जो ज्यादा संशय पैदा हुआ है, उनके संशय को मिटाने के लिए आप वार्ड वाइज और पंचायत वाइज आंकड़े प्रकाशित कीजिये ताकि वे संतुष्ट हो सकें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जीतन राम मांझी जी, 3 मिनट । मात्र 2 मिनट था लेकिन 1 मिनट और बढ़ गया । अब 3 मिनट ।

श्री जीतन राम मांझी : बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है उसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और चूंकि समय कम है, बहुत-सी बातों की

चर्चा मैंने की है और लिखित रूप में भी उस चीज को भी हमने सरकार को देने का काम किया है । आज जो जाति आधारित गणना की बात जब आती है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं । क्यों धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिहार में, हुजूर, 45.54 प्रतिशत मुसहर अमीर हैं और उसी प्रकार से 46.45 प्रतिशत भुइंया अमीर हैं । यह तो धन्यवाद के पात्र हैं हमारे दोनों युगल जोड़ी । इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि चलिये जरा, नजारा देखिये किसी गॉव में, किसी पंचायत में, जब नन्द किशोर बाबू बोल रहे थे, तब दिमाग में बात आयेगी । जितने सारे डाटा दिये गये हैं, टेबल वर्क है, हुजूर । कहीं क्षेत्र में कोई नहीं गया है, नहीं गया है और इसी के आधार पर बातों के जादूगर हैं हमारे विजय कुमार चौधरी जी, हजार बात बोल दें लेकिन हम उन्हीं से कहना चाहते हैं, चलिये समस्तीपुर और एक पंचायत में या एक प्रखंड में अगर 10 प्रतिशत से भी ज्यादा अमीर हो भुइंया और मुसहर तो मैं राजनीति से त्याग कर दे सकता हूॅं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय जीतन बाबू, जरा स्थान ग्रहण कीजिये । संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इन्होंने मेरा नाम लेकर कहा है इसलिये ये जब चलना चाहें, बता देंगे । आंकड़े बिल्कुल सही हैं और इसलिये सही हैं कि गरीब अमीर हो रहे हैं, यही तो हमारे नीतियों की सफलता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग शांति बनाये रखिये । उन्होंने कुछ कहा और मंत्री जी ने कुछ कहा ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, पहले ही हमने कहा कि ये शब्दों के बाजीगर हैं हमारे चौधरी जी इसलिये वे यह बात कर रहे हैं नहीं तो बात समझनी चाहिए । वही तो बात मैं कह रहा हूॅं जिसकी चर्चा उन्होंने की कि भुइंया और मुसहर दोनों एक जाति है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना है और हमलोगों को चाहिए था कि दोनों का कोड एक कर दें । अगर एक कोड किया जाता तो आज 54 लाख उसकी आबादी होती तो हम समझते हैं कि लाभ उसको ज्यादा मिलता । आज यह जो गणना हुई है और गणना के आधार पर मुसहर को 45.54 और उसी प्रकार भुइंया को 46.45 प्रतिशत अमीर दिखलाये हैं, यह विश्वास के परे है ।

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बिहार में भुइंया-मुसहर 5 प्रतिशत से भी ज्यादा अमीर नहीं है । अमीरी और गरीबी का इन्होंने मापदंड कहा है कि 6 हजार रूपया प्रतिमाह जिसकी आमदनी हो या नीचे हो, वह गरीब माना जाता है तो आप जोड़ सकते हैं कि इन लोगों की जो आमदनी है वह कहॉं हैं, हम चल करके

बता सकते हैं, तैयार हैं अगर चौधरी जी ने कहा तो हम उनके साथ चलने को तैयार हैं ।

अध्यक्ष : माननीय जीतन बाबू, स्थान ग्रहण करें ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, एक मिनट और । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1931 में भुइंया और मुसहर दोनों को अलग किया गया था बावजूद उसके मुसहर की जनसंख्या 3 प्रतिशत थी और जब 2023 में जो आज हम गणना में देख रहे हैं, वह भी उसकी जनसंख्या का प्रतिशत 3 ही है । हुजूर, मालथुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में गरीबों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ती है । तो एक तबके की जनसंख्या 8 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत हो गई तो फिर भुइंया-मुसहर की आबादी 3 प्रतिशत कैसे रह गया । इसलिये मैं कहता हूँ....

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय उप मुख्यमंत्री जी ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, जब 1931 की बात कर रहे हैं तो उस समय बिहार के साथ झारखंड भी था और उड़ीसा भी था । इसका भी तो जिक्र होना चाहिए ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय....

अध्यक्ष : इसको वाद-विवाद में न बदला जाय ।

श्री अजय कुमार, सी0पी0आई0एम0 । 2 मिनट ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव, सी0पी0आई0एम0 ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : महोदय, बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जो जारी किया है, उस बुकलेट में जो तस्वीर बिहार की छनकर आयी है, उसमें खास तौर से पिछड़ी जाति को दर्शाया गया है 33.16 और अति पिछड़ी को 33.58, अनुसूचित जाति को 42 दशमलव समथिंग, अनुसूचित जनजाति को 42 प्रतिशत...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाये रखें । उसमें जो है, वे पढ़ रहे हैं । आप शांति बनाये रखें ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : जो गरीबी के आंकड़े दर्शाये गये हैं उन आंकड़ों ने तस्वीर साफ कर दी है कि मौजूदा बिहार में दलित-पिछड़ा की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है । तमाम चर्चाएँ होंगी लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति उन्नत हो उसके लिए बिहार सरकार सार्थक प्रयास करेगी, यह हमें उम्मीद है और ये प्रयास तब होंगे, जो बातें हो रही हैं जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हो भागीदारी । तो जाहिर-सी बात है कि 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति को....

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : अनुसूचित जाति को 19 प्रतिशत आरक्षण और अगड़ी जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण, अगर इसे समानुपातिक बनाना है तो 63 प्रतिशत पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण होना चाहिए । यह मैं माँग करता हूँ । दूसरी तरफ मैं यह बात जोर देकर करना चाहता हूँ कि आरक्षण की सीमा बढ़े ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह, सी0पी0आई0 ।

डॉ0 सत्येन्द्र यादव : सरकारी क्षेत्रों में नौकरियाँ कम हो रही हैं इसलिये निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए । भूमि सुधार कानून लागू किये बगैर बिहार की गरीबी को खत्म नहीं किया जा सकता है इसलिये मैं बिहार सरकार से माँग करता हूँ कि भूमि सुधार कानून लागू किया जाय ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । आसन का आदेश है आप स्थान ग्रहण करें ।
मानीय सदस्य श्री सुर्यकांत पासवान जी, एक मिनट में ।

श्री सुर्यकांत पासवान : अध्यक्ष महोदय, जो जातीय जनगणना बिहार के अंदर हुई है सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने जातीय जनगणना कराकर इस राज्य के जो सबसे निचले पायदान पर रहने वाले हमारे दलित-महादलित हैं, विकास की रोशनी वहाँ तक पहुँचेगी, इस जातीय जनगणना से हमें भरोसा है, विश्वास है । हमारी सरकार मन की बात नहीं करती है, काम की बात करती है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो सोचा, विचार किया, 1990 में जो इन्होंने अपने माननीय नेताओं के साथ बैठकर विचार-विमर्श किया, वह इन्होंने आगे कदम बढ़ाया । ...क्रमशः...

टर्न-16/आजाद/07.11.2023

..... क्रमशः .....

श्री सुर्यकांत पासवान : आज बिहार के अन्दर जो जातीय गणना हुई है, हमारे मित्र लोग कहते हैं कि गांव में कोई कर्मचारी गया ही नहीं, हम जहां से आये हैं, वहां कर्मचारी गया और वहां पर जातीय गणना हुई । इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के तमाम माननीय सदस्य बैठे हुए हैं ......

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सूर्यकांत पासवान : महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जातीय जनगणना पूरे देश में करवायें, इसकी मांग हम सदन से करते हैं ।

अध्यक्ष : अब समाप्त करें ।

श्री सूर्यकांत पासवान : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामप्रीत पासवान जी । एक मिनट में अपनी बात रखें, समय खतम हो गया है । चूँकि अब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष जी, मैं जातीय गणना का स्वागत करता हूँ । इस गणना में हमारी प्रतिबद्धता है । जब हम सरकार में थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमलोगों ने जातीय गणना हो, इसे स्वीकारा था और हमने समर्थन भी किया था। इसमें राजद के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बोलने का हक ही नहीं बनता है। कांग्रेस के एक साथी चर्चा कर रहे थे डॉ0 भीमराव अम्बेदकर जी का । ये कांग्रेस जिस अम्बेदकर को हमेशा से दबाकर रखा, वह चर्चा करता है, इसको तो शर्म होनी चाहिए । हमने तो पंचतीर्थ बनाया है बाबा भीमराव अम्बेकर के नाम पर और जातीय आधारित जनगणना तो मेरा है, इनका कहां से आया और तब ये लोग यहां पर हल्ला करते हैं । हमारी सरकार थी और ये मुख्यमंत्री थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पास किया था, हमलोगों ने इस काम को किया था । इसलिए मैं आग्रह करता हूँ आपसे .....

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामप्रीत पासवान : महोदय, यह क्या हुआ ?

अध्यक्ष : अब समय नहीं है । माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान, एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बधाई देता हूँ और सदन नेता के साथ-साथ सर्वदलीय नेता को जातीय गणना कराकर के पूरे देश को इसका स्वरूप दिखाया है... (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय रामप्रीत बाबू, अब आप बैठ जाईए ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि यह पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, अब सरकार को दवा लिखनी चाहिए । आंकड़े आये हैं कि एस0सी0/एस0टी0/ ओ0बी0सी0 की आबादी बढ़ी है, ये आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हैं, इसलिए अब रिजर्वेशन का दायरा बढ़ना चाहिए और ओ0बी0सी0 का रिजर्वेशन 50 प्रतिशत करना चाहिए और उसमें माईनोरिटी का रिजर्वेशन अलग से तय करनी चाहिए, जिस तरह से साऊथ के स्टेट में हुआ है । मैं यह बात इसलिए

कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में मंडल आयोग की रिपोर्ट आयी थी और उसपर 27 प्रतिशत रिजर्वेशन में माईनोरिटी का रिजर्वेशन 8 फिसदी होता था, 2 फिसदी भी नहीं मिला है, जिसका प्रतिफल यह हुआ है कि आज सूर्यापूरी हो, चाहे अंसारी हो, चाहे शेरशाहवादी हो, चाहे कुलया हो, उनके दो कमरे का ब्लिडिंग एक-डेढ़ फिसदी से ज्यादा लोगों के पास नहीं है । वही यादव भाईयों का, कुर्मी का, कुशवाहा का सात फिसदी, चार फिसदी और तीन फिसदी है महोदय ।

अध्यक्ष : अब बैठिए न रामप्रीत बाबू । माननीय सदस्य अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मेरी बात सुनी जाय । जिस तरह साऊथ के स्टेट में अलग से माईनोरिटी के लिए रिजर्वेशन निर्धारित किया गया है । महोदय, हमारी आवासीय स्थिति गंभीर है । हम पिछड़ी जातियों के तुलना में भी अत्यंत पिछड़ी हैं । इसलिए माईनोरिटी का कोटा, रिजर्वेशन अलग से फिक्स किया जाय, अलग से निर्धारित किया जाय.....

अध्यक्ष : अब अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक अंतिम बात । इसमें एक त्रुटि है, इसमें कलाल जाति है, वह मुस्लिम है, कसेरा जो है, वह भी मुस्लिम है, उसको नॉन मुस्लिम के लिस्ट में जोड़ दिया गया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इसको मुस्लिम समुदाय में जोड़ा जाय ।

अध्यक्ष : अब आप बैठिए ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हाऊस ऑर्डर में नहीं है, महोदय, हम माईनोरिटी की बात करना चाहते हैं, इसपर मुझे बोलने का हक है ।

अध्यक्ष : अब आप बैठिए । माननीय मुख्यमंत्री जी बोलेंगे । ईमान साहेब, अब आप बैठ जाईए । एक मिनट बोलना था, आप तो कई मिनट बोल गये । अब आप बैठिए ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही खुशी की बात है कि बिहार विधान सभा में जातीय आधारित गणना पर चर्चा हुई है और 9 पार्टियों के परामर्श से यह निर्णय लिया गया था और आज 9 पार्टियों के लोगों ने अपनी-अपनी बात रख दी है और इसके पहले जो कुछ भी हुआ है, उसके बारे में बताया गया है । आप सबको मालूम है कि देश में पहली बार बिहार में जातीय

आधारित गणना का काम शुरू किया गया । सरकार द्वारा जातीय आधारित गणना के आंकड़ों को विधान सभा में पेश कर दिया गया है । अब इन आंकड़ों के आधार पर आप सभी को बिहार के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के बारे में अवगत करा दिया गया है । जो भी स्थिति आंकड़े से आया है, उन सब चीजों को पूरे तौर पर रख दिया गया है । हम तो आग्रह करेंगे कि इसको पूरा गौर से देख लीजिए जो सबेरे सब लोगों को दे दिया गया है । आप देखियेगा कि एक-एक जाति के आधार पर, एक-एक इलाके के आधार पर पूरी जानकारी दी गई है । आप इसको देख लीजियेगा और इसके बारे में जो कुछ भी हुआ है, आप सभी दलों ने इसके संबंध में अपनी-अपनी बात रखी है ।

अब सबसे बड़ी चीज है कि आप देखिए, जो सबसे पहले आपलोग बात बोलते रहते हैं, हम तो पहले भी बोल दिये थे भाई, 2017 में भी बोल दिये थे और 2020 में भी बोल दिये थे इसी हाऊस में और फिर हम आपको बता देना चाहते हैं । उस दिन जब हम 9 पार्टियों का मीटिंग किये, जब रिपोर्ट आ गया, तब भी हम बता दिये थे, आखिरकार कब हमारे मन की राय हुई । बाकी कौन क्या बोलते हैं, इन सब चीजों को आपलोग भूला जाते हैं । जब आप ही लोग, जब हमलोग सब कोई साथ में थे, मेरा जो काम है, उसको आप भूला जाते हैं । क्यों भूलते हैं, याद कीजिए और याद कीजिए कि किस तरह से इसकी शुरूआत की गई थी । यह 1990 की बात है, जब हमलोग थे केन्द्र में, मैं उस समय एम0पी0 बनकर के तो उस समय कांग्रेस पार्टी ने जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, ये जो प्रेसीडेंट बने थे, राष्ट्रपति भी थे महामहिम ज्ञानी जैल सिंह और जब हम बने थे वहां पर मंत्री, 1990 की बात है । जहां हमको रहने का जगह मिला था, उसके तीन जगह के बाद वही थे ज्ञानी जैल सिंह और उन्हीं का खबर आया कि वे मिलना चाहते हैं । हमने कहा कि वे तो राष्ट्रपति थे, यहां पर आये थे और यहां पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए आये थे माननीय जे0पी0 जी का, उस समय हमलोगों का परिचय उनसे हो गया था, जब हम एम0एल0ए0 थे, तब की बात है। जब वे हमको खबर दिये कि हम आपसे मिलना चाहते हैं तो मैंने सोचा कि वे इतने बड़े नेता हैं, हम ही उनसे मिलने चले गये । जैसे ही ऑफिस से हम आये, वैसे ही उनसे मिलने चले गये । जब उनसे मिलने गये साहेब तो उन्होंने ही हमको एक घंटा समझाया । कहा कि देखो एक बात समझो, जो होना चाहिए देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए । तब उनकी बात सुनकर के हमको समझ में आया कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, यह

मेरा 1990 की बात है और उसी समय हमने इस बात को समझा । जब इस बात को समझे तो तुरंत हमने सब पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं से मिले, आप समझ लीजिए कि हम चले गये श्रद्धेय मधुलिमये जी से, उन्हीं के साथ बैठे हुए थे तत्कालीन वित्त मंत्री मधु दंडवते जी, सब कोई बैठे हुए थे, हमने बताया तो उन्होंने सुनने के बाद कहा कि यह ठीक है । तुम यह सब करो, इसके बारे में तुम बात आगे बढ़ाओ, बात करो और तब उस समय के माननीय प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से मिले और उनको भी हमलोगों ने अनुरोध किया कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए । बाद में उन्होंने कहा कि इस बार तो शुरू हो गया है, अभी यह पॉसीबुल नहीं है, इसलिए नहीं हुआ । लेकिन आप जान लीजिए कि उसी समय से जाति आधारित जनगणना की बात हमारे मन में है, एक बात आपलोग अच्छी तरह से जान लीजिए ।

...... क्रमशः .....

टर्न-17/शंभु/07.11.23

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : क्रमशः 1930 में जब ये सब शुरू हुआ था तो अंग्रेज ही राज कर रहा था उस समय तो यहां का शुरू हुआ था तो पहली बार हुआ था, जातीय गणना हुआ था और कुछ दिन के बाद हुआ था और बाद में फिर जाति आधारित बंद हो गया । उसके बाद फिर ये हुआ कि जाति आधारित जनगणना हो जाय तो बड़ा अच्छा रहेगा । इसीलिए हमलोग शुरू से मांग करते रहे और उसी के आधार पर आपको याद है न कि यहीं पर पास हुआ-तब आप ही न थे स्पीकर साहब वहां पर बैठे हुए थे 2019 में और 2019 में भी हमलोगों ने कहा कि भाई आप इसके बारे में कर दीजिए और सर्वसम्मति से हाऊस से पारित हुआ तो हमलोगों ने सेंट्रल को भेजा और दोनों हाऊस में विधान सभा में, विधान परिषद् में दोनों में । दूसरी बार फिर 2020 में भी तो दोनों हाऊस से पारित करके भेजा गया और वह भी जनवरी की ही बात है, जनवरी फरवरी में, फरवरी में तो उसी समय बजट के टाइम में हमलोग तो शुरू से तैयार थे और बाद में फिर याद कीजिए कि हमलोगों ने तो 2020 में तो आ गया कोरोना तो शुरू ही नहीं हुआ तो 2021 में फिर हमलोग कहने लगे कि भाई जाति आधारित तो होगा ही न, जनगणना तो होगा ही न, जातीय आधारित नहीं जनगणना होगा तो हमलोग रिक्वेस्ट करें - याद कीजिए न कि हमलोग फिर 9 पार्टी के लोग आपस में बात किये 2021 में और आपस में बातचीत करके हुआ कि ठीक है तो फिर हमलोगों ने केन्द्र में माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि समय दीजिए तो उन्होंने तीन-चार महीना के बाद समय

दिया । हमलोग मिले और मिलकर के सबलोग न गये थे जी और सब तो साथ ही थे सब भुला गये । आप लोगों में से किसी को मौका नहीं मिला । अरे मौका किसको मिला जो दूसरा पटिया से ज्वाइन कर लिया था उसी को दे दिया । हम कहे कि अरे काहे इनको बेचारे को हम इतना बात काहे ले बोलें । उनकी भी हम इज्जत करते हैं । लेकिन वे भी बोले कि नहीं होना चाहिए, सबलोग बोले ये सब लोग थे, विपक्ष में थे, हमलोग तो इधर थे, आप भी इधर थे और उस समय जाकर हमलोगों ने उनसे अनुरोध किया और अंत में उन्होंने कहा कि नहीं साहब ये होगा नहीं अभी और एक बात ऐसे ही जनरली कह दिया गया कि भाई अपना राज्य में करना है तो उस समय की बात है भूलियेगा मत- अभी चला जाता है कोर्ट में कौन जाता है खोजना न चाहिए जो जाता है कोटवा में- याद कीजिए न भाई उसी समय बात हुआ । तब फिर हमलोगों ने मीटिंग किया 9 पार्टी का कि हमलोग करेंगे तो सबकी सहमति हुई और जनगणना जाति आधारित- जनगणना तो केन्द्र का था । हमलोगों ने कहा कि जनगणना का पावर तो उनको है तो हमलोग जाति आधारित गणना करेंगे । उसमें भी सब लोग कह रहा था तो हमने कहा कि जनगणना तो करेगा केन्द्र हमलोग तो गणना की बात किये तो एक-एक बात कहकर के हमने सफाई दी थी और उसी आधार पर सबकी राय से आज वह काम शुरू कर दिया गया और उसी आधार पर जो हुआ फिर अलग-अलग हो गये अलग बात है, लेकिन सबकी सहमति से हुई है और उसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों को लगाया गया, सबकी ट्रेनिंग हुई और उसके आधार पर उनलोगों ने काम करना शुरू किया है और उसी के आधार पर हुआ और वह जब चल रहा था तो कोई बीच में कोर्ट में कर दिया- जनवरी याद कीजिए इसी साल के जनवरी में सबसे पहले उन लोगों ने कहा जितने लोगों का घर है, बिल्डिंग है उन सबके घर पर जाकर के एक-एक जगह देखकर के सबमें लिखकर दिया, बात किया कि आपलोग कौन-कौन हैं और वहां पर एक-एक चीज लिख दिया और उसके बाद फिर और भी उस जगह से निकला तो अपना मीटिंग करके लोगों ने आपस में विचार करके और इसका काम चार महीना के बाद शुरू हो गया । वह कहा कि थोड़ा समय दे दीजिए और समय दे दिया गया और उनलोगों ने काम करना शुरू कर दिया । जब काम शुरू हो रहा था तो काफी तेजी से काम हो रहा था तब तक वह कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने इसको रोक दिया, लेकिन कुछ महीना के बाद कोर्ट में फिर हुआ तो कोर्ट ने कहा कि यह राज्य सरकार को अधिकार है, हम इन्टरफेयर नहीं करेंगे कैंसिल कर दिया तो शुरू हो गया । उस बीच में सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हम इसमें इन्टरफेयर नहीं

करेंगे और समय बहुत आगे का दे दिया है बोलिये, कई महीना के बाद और इस बीच में पूरा काम शुरू हो गया तब पूरा काम जब शुरू हो गया तो जो भी जाति आधारित गणना के आधार पर जो भी रिपोर्ट्स आये उन रिपोर्ट्स के आधार पर फिर हमलोगों ने जो बात किया बोलिये, आपस में बैठकर बात ही न किये 9 पार्टियों का सबलोग बैठकर बात ही किये और उसमें भी हमने कहा सबलोग कुछ-कुछ बोल रहे थे कि देखिए न भाई आ रहा है रिपोर्ट तो हमलोगों ने इसमें कह ही न दिया था कि जातीय आधारित गणना तो होगा ही, लेकिन इसके साथ-साथ सबकी आर्थिक स्थिति का भी हमलोग करेंगे । याद कीजिए न जो हमलोगों ने तय किया था कि हम सिर्फ गणना नहीं करेंगे उसके अलावे सभी परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे तो दोनों काम करके तो उसी समय हम कह दिया कि दोनों रिपोटवा वह फाइनल कर लिया है और जब हाऊस शुरू होगा तो उसमें सब चीजों को रख दिया जायेगा और उसमें भी सब लोगों की राय ली जायेगी तो अब तो बात रख दिया गया है न भाई । अब इतना बढ़िया रिपोर्ट हो गया है । अब कहीं-कहीं कोई बोल देता है कि इस जात का बढ़ गया, उस जात का बढ़ गया तो जरा बताइये, जब इसके पहले जाति आधारित जनगणना हुई ही नहीं तो आप कैसे कह रहे हैं कि इस जात का घट गया, इस जात का बढ़ गया । यह बहुत बोगस बात है, बहुत बोगस बात है यह सब नहीं बोलना चाहिए और जब भी हुआ है केन्द्र सरकार के द्वारा......व्यवधान । अरे बैठिए न, आप हमारे मित्र हैं बैठिए न, मेरा बतवा सुन लीजिए, हम बात कह देंगे और इसके बाद आप कुछ कहना चाहियेगा तो आपका भी सुनेंगे । मेरा बतवा प्लीज सुन लीजिए, हम आपकी कितनी इज्जत करते हैं । आपके घर हम नहीं गये हुए हैं तो काहे चिंता करते हैं । पहले पूरी बात सुन लीजिए । हम यह कह रहे हैं कि जो दोनों काम हम लोगों ने कर दिया और जब इतना ज्यादा वह कर लिया रिपोर्ट तो पब्लिश हो गया है, आपके सामने रख दिया गया है तो भी कोई बोल देता है फलाने जात का ये हो गया । अब इसके बारे में तो सोचने की क्या बात अब तो आ गया । अब अगर जरा भी है तो हम बराबर न कहे हैं केन्द्र से शुरू से तो करा लेना चाहिए । जातीय आधारित जनगणना कर ले, अभी तो देर हुआ है न जी 2020-21 में जो होना था वह नहीं हुआ है । हर दस साल पर हो रहा था तो इसी साल शुरू कर दें न और अगर इसी को मान लें जातीय आधारित जनगणना और पूरे देश का कर लेंगे तो आपको आज लगता है कि बिहार में- बिहार का जो भी हुआ पिछले बार का जो भी रिपोर्ट आया है बोलिये ? 2010-11 का जो रिपोर्ट आया या 2020 का जो रिपोर्ट आया तो जो भी है तो क्या है ? अब पहले संख्या तो बढ़ती ही न गयी

है जी, पहले जो था उसमें 8 करोड़ से कुछ था और दूसरी बार बढ़कर 2010-11 में हो गया 10 करोड़ से आगे और इस बार बढ़कर हो गया है 12 करोड़ से आगे और इसी में तो एक-एक बात बता दिया गया है कि टोटल की संख्या एक-एक जगह जो देखा गया और उसी में उसके परिवार के लोग यहां नहीं बाहर रहते हैं । हम एक आग्रह करेंगे जब शुरू हुआ था तो हम भी अपने घर पर गये जहां मेरा जन्म हुआ बख्तियारपुर और वहीं पर जाकर हम भी थे और जो कर रहा था एक-एक बात वो बोला न गया था हमारे भैय्या कर देते, लेकिन हम भी गये और कहा कि सबको लेकर चलिये और एक-एक बात हमने कहा कि भाई हमलोग इतने हैं और भैय्या का दो लड़का दिल्ली में नौकरी में है और उसका भी एक-एक बच्चा है वहीं रहता है तो इसलिए उसको यहां पर कैसे- इसी तरह से अब जो कहते हैं कि हमको नहीं पूछा तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई जब हो रहा था तो सब लोग अपने-अपने घरवा पर गये क्यों नहीं जाना न चाहिए । मेरा बतवा सुन लीजिए बाद में जो कहियेगा । हम कह रहे हैं कि पहला दिन जो शुरू हुआ तो हम खुद चले गये और यह पूरे मीडिया में नहीं छपा था कि हम भी वहां पर बैठे हुए हैं, कितना न्यूज छपा था और बाहर में पटना से लेकर के 25-30 मीडिया का लोग वहां पर था तब हमसे पूछ रहा था तो एक-एक बात सबको करना चाहिए । जब रिपोर्ट आ गया और जब हम भी रिपोर्ट देखे तो देखे नहीं हम जिस जतिया के हैं तो उसके बारे में जो मानता था कि इतना है तो उससे घट गया । अब किसी के बारे में कम था तो उसका देखते हैं कि बढ़ा हुआ है, किसी का और कम है तो कहने का मतलब है कि उससे क्या कीजिएगा । इसका मतलब है कि जिनकी आबादी बढ़ रही है तो भुला रहे हैं अब जो बतवा हो रहा है, अगर सब चीज का आंकड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं, आप देख लीजिए ।

टर्न-18/पुलकित/07.11.2023

श्री प्रेम कुमार : महोदय, शिकायतें आ रही हैं । आपसे आग्रह है कि आप पंचायतवार जारी कर दीजिए । माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख लीजिए कि रिपोर्ट क्या बताता है ।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : सब है । आप जरा देख लीजिए । आप सुनिए, बैठिए । आप प्लीज सुनिये, बैठिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये ।

श्री प्रेम कुमार : पंचायत स्तर पर रिपोर्ट जारी कीजिए...

अध्यक्ष : अब आप बोल दिये हैं, अब बैठिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप जो बात कह रहे हैं वह अलग चीज है । अभी और बात सुन लीजिए, प्लीज ।

श्री प्रेम कुमार : पंचायत स्तर पर रिपोर्ट जारी कीजिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आप एक बात बोल रहे हैं । अभी तो आपको पूरे राज्य का दे दिया गया है । आप कह रहे हैं कि सबका सर्वे हुआ है और उसको भी एक-एक चीज को पब्लिश कर देना है । हमलोग भी कहेंगे कि वह भी कर देना है बाद में, इसमें क्या दिक्कत है । अच्छा आज हुआ है, याद कीजिए । आज तक केन्द्र से जो जनगणना की जाती है, पूरे देश की जनगणना होती है उसमें कहीं पर भी किसी पंचायत का, किसी की कुछ रिपोर्ट आती है ?

(व्यवधान)

आप सुनिए । वह अलग बात है । आप कह रहे हैं वह अलग चीज हैं । उन सब चीजों के बारे में भी हम सोच लेंगे वह आपका विचार है । लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि कितना बड़ा काम कर दिया गया । एक-एक तरह से सबकुछ कर दिया गया है । अब आप समझ लीजिए कि आप सबको मालूम है जो कुछ भी हमने आप सबलोगों से बातचीत की थी उस सब से तो आपकी चर्चा हो ही गयी और सबकुछ की स्वीकृति हो गयी ।

समझ लीजिए, जाति आधारित गणना को दो चरणों में कराया गयी । प्रथम चरण में मकानों की नंबरिंग एवं सूची तैयार की गयी है और दूसरे चरण में पूरे सर्वे काम किया गया है और जब सर्वे का काम अंतिम चरण में था । इसी बीच कुछ लोग पटना मेडिकल कॉलेज में गये थे, वहां देर हुई थी वह तो हम पहले ही बता दिये हैं । जो 2 अक्टूबर को बापू के जन्मदिन पर हो गया, वह तो आप ही लोगों से बात करके कर ही दिया गया । आप समझ लीजिए, एक बात हम आपको अच्छी तरह से बता देना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 2 करोड़ 76 लाख परिवार मिल गया है । जो रिपोर्ट आई वह यही है उसमें सर्वे करके दिया गया है और उसमें कहा गया है कि

59.13 प्रतिशत लोगों के पास पक्के मकान हैं । जो इसमें आ गये हैं जिनको पक्का मकान है । लगभग 39 लाख परिवार झोपड़ियों में निवास कर रहे हैं और वही 63850 परिवार आवास हीन पाये गये हैं कि उनके पास किसी तरह का आवास नहीं है । यह सब दिया गया है और जिनके पास घर भी नहीं है और जमीन भी नहीं है । इस सब की रिपोर्ट आ गयी है । इसको गौर कीजिए और परिवार के आधार पर 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब मिले । हम सभी जाति का सर्वे करवाये हैं । जो 34.14 प्रतिशत है उसमें सभी वर्गों में गरीब लोग पाये गये हैं । सामान्य वर्ग यानी अपर कास्ट जिसमें हिन्दू, मुस्लिम दोनों है । हिन्दू के चार वर्ग और मुस्लिम के तीन वर्ग शामिल है । 25.09 प्रतिशत सामान्य वर्ग के है और जो पिछड़ा वर्ग है उसका 33.16 प्रतिशत है और अति पिछड़ा वर्ग के 33. 58 प्रतिशत है । अनुसूचित जाति में 42.93 प्रतिशत है, अनुसूचित जनजाति वर्ग में 42.70 प्रतिशत है । इतना आंकड़ा इनका मिल गया है कि गरीब लोग पाये गये हैं। एक-एक चीज का अध्ययन कर लिया है, अब इसमें समझ लीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी, एक मिनट जरा रूका जाय । माननीय सदस्यगण, आज के लिए निर्धारित कार्यों के निष्पादन होने तक सदन की सहमति से बैठक की अवधि विस्तारित की जाती है । अब माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू किया जाए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : हम आपको अब यह बात कह रहे हैं कि अब क्या हो गया है? 2011 की जनगणना की तुलना में साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत से बढ़कर के, आप सोच लीजिए साक्षरता दर कितनी बढ़ी । हमलोग कितनी मेहनत किये, आप भूल गये हैं । हमलोग लगातार लोगों के हित में जो काम किये हैं साक्षरता दर बढ़कर 79.70 प्रतिशत हो गयी है । महिला साक्षरता में बहुत सुधार हुआ है, 51.5 प्रतिशत से बढ़कर 73.91 प्रतिशत हो गया है । अब कितना विकास हुआ है इसे देख लीजिए । अब बिहार महिला शिक्षा की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है । 2011 की तुलना में बिहार में मैट्रिक पास महिलाओं की संख्या- 24 लाख 81 हजार से बढ़कर के, कितनी पढ़ाई पढ़ाये हैं, सब आपका रिपोर्टेड है, आप भूलियेगा मत कि 24 लाख 81 हजार से बढ़कर 55 लाख 90 हजार हो गयी है । 2011 की तुलना में कितने प्रतिशत लड़कियां पढ़ी हैं । इंटर पास महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी ? 12 लाख 55 हजार थी अब उससे बढ़कर के इंटर पास महिलाओं की संख्या 42 लाख 11 हजार हो गयी है, इसे भूलियेगा मत, समझे । उसके बाद ग्रेजुएट एवं इससे अधिक पढ़ी लिखी महिलाओं की संख्या 4 लाख 35 हजार से बढ़कर के 34 लाख 61 हजार हो गयी है । यानी लगभग 5 गुना बढ़ गयी है । हम लोग जो काम किए हैं लड़का-लड़की के लिए जो विशेष काम

किए, उससे कितनी संख्या बढ़ गयी इस बार की रिपोर्ट देख लीजिए । यह सब काम किया है । उसके बाद शिक्षा की स्थिति में भी सुधार के लिए भी सबकुछ काम किया गया है ।

समझ लीजिए, 2005 के सर्वे में पता चला कि 12.5 प्रतिशत लोग हैं जिनके बच्चे स्कूलों से बाहर थे, जिनकी संख्या अब नाम मात्र रह गयी, अब उसके लिए हम विशेष प्रयास किए, जो दो कम्यूनिटी का था, जिसका पता किये । उसके लिए हमलोग प्रयास किए हैं, अब बहुत कम हो गया है, दो साल पहले 0.5 था अब उससे भी कम हो गया है । अब यह समझ लीजिए कि कितना ज्यादा विकास हुआ इस बार की रिपोर्ट में वह सब आ गया है । जो अपनी राज्य सरकार की तरफ काम किया वह भी रिपोर्ट आ गयी है । नये विद्यालय खोले गये और विद्यालयों को उत्क्रमित किया गया, नये भवन और अतिरिक्त वर्ग कक्ष और शौचालय बनाये गये, सबकुछ किया गया है । इस तरह से सब काम जो हमलोगों के द्वारा किया जा रहा है यह सब तो ही जा रहा है । आप एक बात और समझ लीजिए...

श्री प्रेम कुमार : महोदय, जमीन पर वास्तविकता नहीं है ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : सुनिए, एक मिनट । जमीन तो सीमित है बिहार में । आबादी बढ़ रही है तो जो अगल-बगल में घर बनाने लगता है तो इसलिए हम कह रहे हैं उसकी संख्या पर आगे काम करना है । भूलिये मत, आप डिपार्टमेंट भी देखते थे, क्यों भूल रहे हैं । अब कितनी बढ़िया जगह बन गयी है ।

(व्यवधान)

आप वही चले गये थे और भूल गये । प्लीज, सुना जाए । आप देख लीजिए, 2011 की जनगणना में छह वर्ष से छोटे बच्चों की गणना हुई थी । 2011 में उस समय कुल जनसंख्या 18.46 प्रतिशत निकली थी । उस समय जो जनगणना जनरल होती थी, उस समय की रिपोर्ट थी छह साल से कम उम्र के लोगों की जनसंख्या पुरुष हो या स्त्री मतलब लड़का हो या लड़की 18.46 प्रतिशत थी ।

(क्रमशः)

टर्न-19/अभिनीत/07.11.2023

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री (क्रमशः) : और अब जितना हमलोगों ने शुरू कराया है पढ़ाई का, याद करिए न कह रहे थे कि लड़की भी पढ़ लेगी..

(व्यवधान)

सुनिए न, 4.3 था, सुनिए न वह तो सबके परिवार में है 9, अब तो घट रहा है..

(व्यवधान)

सुनिए न । अब धीरे-धीरे हो जायेगा । इसी को देखकर के हमने तय करवाया..

(व्यवधान)

सुनिए न, बात सुनिए । सब परिवार का हो जायेगा धीरे-धीरे आगे, तो वह जरूरी चीज न है । XXX समझ लीजिए संख्या घट रही है । अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले और पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरी बात को, याद करिए पहले क्या था 4.3 अब घटते-घटते लास्ट इयर के पहले की ही रिपोर्ट आयी है, अभी तो और हम कहे हैं कि नया रिपोर्ट दे दो, तो 2.9 पर पहुंच गये हैं और बहुत जल्दी 2 के पास हमलोग पहुंच जायेंगे । इसलिए जरा यह जान लीजिए कि कितनी खुशी की बात है । घबराहट में यह क्यों कह रहे हैं कि इज्जत घट गयी है, क्यों घटेगी । अब धीरे-धीरे घटेगा । जब आप देख रहे हैं 18.46 से घटकर के 13.6 है । अब चूंकि लड़की को पढ़ाया गया तब उतना ज्यादा नहीं होता है, अब संख्या घट रही है 2.9 पर आ गये, तो उसका फायदा न हो रहा है । अब धीरे-धीरे और आगे बढ़ेगा, अगली बार जब सर्वे होगा तब देखिएगा जब अगली बार होगी जनगणना तब उसके बाद अगर देश भर में जनगणना कर लेंगे और जातीय आधारित कर देंगे तो एक-एक चीज की रिपोर्ट आयेगी, धीरे-धीरे और घटेगा, यह बड़ी खुशी की बात है न जो हमलोग करा दिए । अब इन आंकड़ों से हमने शुरू में कहा था कि इसकी पुष्टि हुई है । यदि पति मैट्रिक पास है तो देश में उसका प्रजनन दर 2 था और बिहार में भी कोई भी लड़की अगर मैट्रिक पास थी तो पता चला उसका भी दो लेकिन अगर इंटर पास है तो देश में था 1.7 और हमलोगों के यहां बिहार में 1.6, यह हमलोगों को रिपोर्ट मिली तो यूरेका की भावना, इतनी हमको खुशी हुई थी कि भाई हमलोग तेजी से इस काम को करायेंगे और उसी का नतीजा है कि अब आप 2.9 पर पहुंच गये, और नीचे जाइयेगा..

(व्यवधान)

सभी समाज की बात कर रहे हैं । नहीं-नहीं होगा ही, धीरे-धीरे होगा न । अरे ! अभी तो जो हो रहा है सबका आ रहा है चिंता मत कीजिए न । धीरे-धीरे बाकी सबको पढ़वाइये न । अरे ! वह तो सबका न...

(व्यवधान)

सुनिए न । बैठिए, बैठिए न । अरे ! बढ़ेगा, धीरे-धीरे घटेगा सुन तो लीजिए । चिंता मत करिए बहुत अच्छा काम हो रहा है । हम एक बात कहेंगे अब जो, अब

जितने स्कूल खोले गये हैं, जो किया गया है 10+2 का, आपको मालूम है न कि हम सब लोग कर रहे हैं और जहां भी नहीं है उसके लिए हमलोग काम करवा रहे हैं । आप समझ लीजिए 20768 स्कूलों में नये विद्यालय भवन और 3530 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लास रूम आदि का निर्णय लेकर 7 हजार 530 करोड़ रुपये की योजना पर तेजी से काम हो रहा है । भूल क्यों रहे हैं, किया ही न गया है । 2005 में तो आपको हम बता ही दिए क्या था । अब घटकर 2.9 पर आ गया । अब उसके अलावे, अब जो उसके आगे बात है कि यह सब तो हो ही रहा है अब आगे क्या करना चाहिए । उसके बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं ।

अब जातीय आधारित गणना के आंकड़ों के आधार पर लोगों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखकर निम्न निर्णय लिये जा सकते हैं । क्या हो सकता है ?

जातीय आधारित गणना में वर्गवार, कोटिवार जनसंख्या के निम्न आंकड़े प्राप्त हुए हैं :-

पिछड़ा वर्ग का कितना है 47.12 प्रतिशत । अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्या है 26.01 प्रतिशत । अनुसूचित जाति का है 19.65 प्रतिशत । अनुसूचित जनजाति का है 1.68 प्रतिशत और सामान्य वर्ग के हैं 12.52 प्रतिशत । जो आंकड़ा दिया गया है हरेक जातियों का, दो अपर कास्ट का है, कुल मिलाकर 52.52 और पिछड़ा वर्ग का है 27.82 और अति पिछड़ा वर्ग का है 36.01 । सुनिए, और अनुसूचित जाति का बढ़ गया, 16 था अब उससे बढ़कर हो गया है 19.65 । इसलिए अनुसूचित जाति को कोशिश करनी चाहिए । उनको भी खूब सिखाना चाहिए । अनुसूचित जनजाति जो पहले था एक से कम उसको हम उसमें शामिल कर दिए थे, तो एक के आस-पास हो गया था तो वो अब हो गया है 1.68 प्रतिशत । अब इसके लिए आगे प्रयास करके आगे के लिए करना होगा धीरे-धीरे जो भी संख्या होगी, अभी यह स्थिति है । अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या अनुपात में वृद्धि के कारण, अब आप जानते हैं न कि जब भी जो भी दिया गया है 50 प्रतिशत का है तो अनुसूचित जाति और जनजाति को सेंट परसेंट मिलता है । अभी तक बिहार में क्या था सोलह और एक सत्रह । अब चूंकि संख्या बढ़ गयी है 19.65 तो यह 19.5 से आगे है तो अनुसूचित जाति को 20 करना पड़ेगा । अनुसूचित जनजाति का 1.68 है तो उसको 2 करना पड़ेगा तो 22 प्रतिशत देना पड़ेगा 17 की जगह पर । यह तो स्वाभाविक है न उनको सेंट परसेंट

का शुरू से ही प्रावधान है तो उनके लिए तो देना ही न पड़ेगा सरकारी सेवाओं में....

(व्यवधान)

अरे ! धन्यवाद । सुनिए न, बैठिए...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । बोलने दीजिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : आगे वाला, इसके बाद कहिएगा पहले सुन लीजिए न ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा कि भाजपा पूरी सपोर्ट के लिए तैयार है..

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ठीक है बैठिए । हम तो आपको बता दे रहे हैं कि यह हो जायेगा अनुसूचित जाति का 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का हो जायेगा 2 प्रतिशत, तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए पूर्व से प्रावधानित 3 प्रतिशत आरक्षण को पिछड़े और अति पिछड़ों के आरक्षण में समाहित किया जा सकता है, तब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है । अब तो हम 35 परसेंट दे दिए हैं, तो उसके लिए क्या जरूरत है तीन परसेंट कहीं करने का पिछड़ा, अति पिछड़ा को, कोई आवश्यकता नहीं है । उसको तो अब छोड़ देना चाहिए, वह तो दे ही रहे हैं हमलोग 35 परसेंट । पूरे बिहार में हर जगह दे रहे हैं महिलाओं को इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर आप अब 50 में 22 हटेगा तो मात्र 28 परसेंट न बचा पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए, और संख्या कितनी हो गयी । इधर तो देख ही न लिए हैं कि कितना हो गया 63 परसेंट । दोनों को मिलाकर के जो हुआ है उसके हिसाब से 63 परसेंट उनकी संख्या है और कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए अब उसको कितना बचा 28 परसेंट ही न बचा और अपर कास्ट में आप जानते हैं कि अभी दो साल पहले केंद्र सरकार ने किया कि उनके पिछड़ेपन को 10 प्रतिशत करेंगे तो हमलोगों ने तुरंत स्वीकार किया और 10 परसेंट हमलोग यहां भी कर रहे हैं, तो 50 परसेंट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सेंट परसेंट और बाकी जो पिछड़ा, अति पिछड़ा का है उसमें जो बचा है वो और फिर अब केंद्र ने 50 के अलावे 10 किया उसको स्वीकार किया गया । अब तो अपर कास्ट में 10 परसेंट । अब अपर कास्ट का आप देखिएगा तो आपको संख्या का पता चलेगा कि अपर कास्ट में कितनी संख्या हो जाती है । अभी जो है कि 28 परसेंट ही बचा है तो इसीलिए अब जो कुछ भी

है आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है तो उनकी जनसंख्या अनुपात के आलोक में लगभग 64 प्रतिशत है जो बता दिए अभी आपको...

(क्रमशः)

टर्न-20/हेमन्त/07.11.2023

(क्रमशः)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्रीः अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए 100 प्रतिशत का आरक्षण जो हम बता दिये हैं, तो पिछड़े और अति पिछड़े के लिए आरक्षण बढ़ना न चाहिए । यही हमारा कहना है । तो मेरा यह कहना है कि जो 50 प्रतिशत है वह कम-से-कम हम 65 प्रतिशत कर दें....

(व्यवधान)

तो 65 प्रतिशत कर दिया जाय 50 की जगह पर और 10 प्रतिशत अपर कास्ट का पहले से है, तो 65+10= 75, बचेगा 25, तो पहले 40 सबको फ्री था अब 25 फ्री हो जायेगा, लेकिन बाकी का, पिछड़ा और अतिपिछड़ा की संख्या को भी कम-से-कम अब कुल मिलाकर और एस0सी0, एस0टी0 को जो 50 है उसकी जगह पर हम लोग 65 कम-से-कम कर दें, यह आप लोगों से परामर्श है । आप भी एग्री कर रहे हैं यह बड़ी खुशी की बात है ।

(व्यवधान)

पहले सुनिये न । अब इसके बाद दूसरी चीज है । अब जो आपको बता ही दिये हैं कि आर्थिक स्थिति सुधारने का, यह तो हमने संख्या बता दी कि कुल कितनों को जगह मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन का, 50 को बढ़ाकर 65 की बात हुई है । अब आर्थिक स्थिति की बात आपने की है न, तो उसके बारे में भी चर्चा कर देना चाहते हैं । यह आप समझ लीजिए, यह हम पहले ही बता दिये हैं । 65.09 प्रतिशत सामान्य वर्ग के हैं, 33.16 प्रतिशत पिछड़ा वर्ग के, 33.58 प्रतिशत अति पिछड़ा वर्ग के, 42.93 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 42.70 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग गरीब हैं । हम पहले ही बता दिये हैं । तब सभी को मिलाकर बिहार में लगभग 94 लाख गरीब परिवार के हैं । इन सबको मिलाकर देखेंगे तो 94 लाख बहुत ही गरीब परिवार हैं । अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अतिपिछड़ा हो, कोई भी हो और अनुसूचित जाति, जनजाति और हिन्दू, मुस्लिम सभी को मिलाकर इतना है । तो शुरू से ही विकास में अनेक कार्यक्रम

सफलतापूर्वक चलाये जा रहे हैं । अब विशेष योजनाओं का काम चल रहा है । जातीय आधारित गणना में लगभग सभी जातियों के 94 लाख परिवार गरीब हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं है । अब आप सोच लीजिए उन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है । बाकी लोगों के पास जो कुछ भी है, लेकिन इतने लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है । तो उन लोगों को कुछ मदद करनी है न, तो हम यही कह रहे हैं । एक चीज और कि अब उसके लिए जो कुछ भी किया जा सकता है 2 लाख रुपये तक की राशि किश्तों में उपलब्ध करा दिया जायेगा मतलब मुफ्त में उनको 2 लाख रुपये की मदद दी जायेगी हर परिवार को, ताकि कोई काम करो । जितने लोग भी हैं अपर कास्ट हो, बैकवर्ड कास्ट हो कोई हो, यह जितने भी हैं 94 लाख परिवार इन सबके लिए हर परिवार को कम-से-कम दो लाख रुपये राज्य सरकार की तरफ से मदद की जायेगी, ताकि वह कोई-न-कोई काम करना शुरु करे । यह हमारा विचार है और दूसरी बात है कि 63,850 परिवारों के पास रहने के लिए आवास की सुविधा नहीं है । उन सभी को अभियान चलाकर आवास की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । देखिये न, जो भी होता है उनको जमीन खरीदने के लिए 60 हजार रुपये देते हैं, तब हम सोच रहे हैं कि सबका बन नहीं रहा है, तब उनको जमीन खरीदने के लिए 60 हजार रुपये की जगह पर 1 लाख रुपये का सहयोग दें सरकार की तरफ से और उसको घर बनाने के लिए 1 लाख 20 हजार रुपया दिया जाता है, तो उसको 1 लाख 20 हजार रुपया दे दिया जायेगा । तब जानते हैं कि बहुत लोग अपना घर.....

(व्यवधान)

अरे, यह सब बात नहीं है । वह सब तो अलग चीज है ।

अध्यक्ष : आप शांतिपूर्वक सुनिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : तो जो पाया गया अब यही सोच रहे हैं कि उन सब लोगों को जमीन के लिए 60 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की मदद कर दी जाय और बाकी जो 1 लाख 20 हजार बनाने के लिए है....

(व्यवधान)

अरे, आगे जरूरत पड़ेगी तो आगे जो भी बढ़ाना हो । अब आगे एक और चीज है. ..

(व्यवधान)

एक मिनट सुन लीजिए न । अब हम लास्ट बोल रहे हैं । अगर यह दोनों चीज आपको बता दिये कि यह किया जायेगा, तो आपको हम बता दें कि एक-एक आंकड़ा, एक-एक चीज हम देखे और खुद सोचे, तो उसमें हमने देखा कि 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपया लगेगा, तो 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपया यानी दोनों कामों के लिए कह रहे हैं कि दोनों कामों के लिए अभी जो हम कह रहे हैं उसको हम मदद करेंगे, तो 2 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी । तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि इसको हम लोग 5 साल के अंदर हम लोग पूरा कर दें, ताकि 50-50 हजार रुपया दें । लेकिन एक बात जान लीजिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जायेगा, तो आपको और मदद होगी, तब पांच साल नहीं लगेंगे, तब दो या ढाई साल में सबका हो जायेगा । अब एक और बात हम बता देते हैं, राज्य की महिलाओं के लिए जीविका स्वयं सहायता समूह तो हम बताये हैं । उनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो गयी है । तब हमारी इच्छा है कि अब शहरी क्षेत्र में भी हम लोग जीविका से ही जोड़ रहे हैं और बाकी और भी हर जाति में गरीबी है, तब सबको प्रेरित किया जाय और चाह रहे हैं कि जो हमारा 10 लाख से ज्यादा है जीविका स्वयं सहायता समूह का, अब उसको कम-से-कम डेढ़ लाख और बढ़ा दें बहुत जल्द ही, अब कुल मिलाकर जो जीविका दीदियों की संख्या है 1 करोड़ 30 लाख, तो यह बढ़कर 1 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा हो जायेगी । तो कितनी ज्यादा खुशी है, तो इतनी ज्यादा सब जीविका दीदियां बनकर और अपने परिवार का, तो सब तरह का । घर बनाने के लिए भी दे रहे हैं, वह अपना कोई काम करे, उसके लिए भी दे रहे हैं और उसके अलावा हम कह रहे हैं परिवार में जो जीविका से जुड़ जायेंगी, तो उनको भी मदद मिले, तो यह भी एक हम सोच रहे हैं और दूसरी बात है कि अभी भी जो दिया जाता है सतत जीविकोपार्जन योजना...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाकर सुनिये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : एक अलग हम करवाये न । अरे, जीविका दीदियों के अलावा एक सतत जीविकोपार्जन योजना....

(व्यवधान)

अरे, सुन लीजिए न । बाद में कहियेगा न, बाद में सुनेंगे । सतत जीविकोपार्जन योजना जो हम लोग बनाये, तो अब तक 1 लाख 65 हजार लोगों ने इसका लाभ

लिया है, तब इसमें हम लोग मैक्सिमम मदद उसको 1 लाख रुपये की करते हैं । अगर 2 लाख रुपये की मदद कर देंगे, तो इससे और ज्यादा संख्या जो गरीब-गुरबा परिवार की है मतलब आप समझ लीजिए स्वयं सहायता समूह के अलावा सतत जीविकोपार्जन योजना का भी हम लोग यह काम कर रहे हैं और जातीय आधारित गणना में....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी की बात को सुनिये । आप स्थान ग्रहण कर लीजिए । प्रेम बाबू, आप बैठ जाइये ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : पंचायत की बात आपको लास्ट बता रहे हैं । अब एक लास्ट बात सुन लीजिए । इस जातीय आधारित गणना में वैसी पंचायतों को भी चिन्हित किया जा रहा है जहां साक्षरता दर, पढ़ाई-लिखाई का स्तर राज्य के औसत से कम है । साक्षरता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग इन पंचायतों में विशेष अभियान चलायेगा । आप जो बोल रहे थे पंचायत का तब पंचायत का भी करेंगे । तो इसीलिए हमने इतनी बात आपको बता दी....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शांति बनाइये, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं । आप बैठ जाइये, सुन लीजिए, जगह लीजिए । आप स्थान ग्रहण कीजिए । मुख्यमंत्री जी की बात को सुनिये ।

(क्रमशः)

टर्न-21/धिरेन्द्र/07.11.2023

(क्रमशः)

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, तो हमारा यह विश्वास है कि जाति गणना के साथ-साथ आर्थिक और शैक्षणिक जानकारी के आधार पर, सिर्फ जाति गणना नहीं कराये हैं बल्कि सबकी आर्थिक स्थिति का भी अध्ययन करवा लिये तो इन दोनों के आधार पर ऐसी-ऐसी नीतियाँ बना कर, नीतियाँ एवं योजनाओं से समाज के गरीब एवं हासिये पर अवस्थित लोगों का विकास होगा और न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है । जिस दिन हम काम संभाले हैं, भुलिये मत, न्याय के साथ विकास का हमारा संकल्प है, ये काम को करेंगे और लास्ट में हम आग्रह करेंगे

कि अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि राज्य में हुआ तो ये सब काम शुरू कर दिया जायेगा और अगर केन्द्र सरकार जाति आधारित जनगणना पूरे तौर पर करा कर, हम तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि आर्थिक स्थिति की भी पूरी जानकारी सब का ले लीजिये और उसी से और नीतियाँ वहाँ से बना दीजिये तो उससे सबको लाभ होगा, सब आगे बढ़ेगा । हम तो केन्द्र सरकार से भी अपील करेंगे और जो कुछ भी रिपोर्ट है, हमलोग ये सारी रिपोर्ट आज यहाँ मिटिंग हो रही है और आज विधान परिषद् में भी हो जायेगी, उसके बाद हमलोग केन्द्र सरकार को भी इन सारी बातों को भेज देंगे कि आपलोग आगे जो करना है करिये, अब हमलोग तो यहाँ पर कर चुके हैं । इसलिए यहाँ के सुधार के लिये हमलोगों की हैसियत है उसको करेंगे लेकिन साथ-साथ बिहार एक गरीब राज्य है, इसको विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिये ताकि बहुत उत्थान होगा और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और केन्द्र के लोग अगर बिहार को...

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, शहरी गरीब को भी जो शहरों में भूमिहीन हैं उनको भी जमीन का पैसा मिलना चाहिए ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : ठीक है, सबको मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बोल दियें । अब सरावगी जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें । अब बैठ जाइये । माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : महोदय, हमारी बात है कि अगर हमलोग जो करना शुरू किये हैं...

(व्यवधान)

सुनिये न, बात तो सुन लीजिये, सिर्फ बोल क्यों रहे हैं । कितना बार घर पर जाते हैं, किसलिये बार-बार बोल रहे हैं । सुन न लीजिये । इसीलिये बोलते हैं कि हम कुछ बोलेंगे और मीडिया वाला लिखेगा तो कम-से-कम दिल्ली वाला आपको भी इज्जत देगा । छोड़िये न बेमतलब की बात है, हम तो आप ही को इज्जत दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि जो बिहार कर देगा, अगर केन्द्र सरकार इसको इसी तरह से कर देगा तो उनको कितना फायदा हो जायेगा और हमलोग तो पूरे राज्य में इस

काम को शुरू कर देंगे और इसके लिये जो भी कानून या जो कुछ लाना होगा, वह भी आपको इसी सत्र में पेश कर दिया जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि सब लोग मिलकर एक साथ काम किये हैं और जो भी हुआ है सब के एकजुट होने से हुआ है । अब इसको और ज्यादा कुछ करना है तो और किया जायेगा, अभी तो जितना है उसके आधार पर यह निर्णय है और यही आप सब लोगों से आग्रह है कि सब लोग इसके पक्ष में, धीरे-धीरे बोले ही हैं कि हमलोग पक्ष में हैं तो इस तरह से कर के हमलोग लोगों के हित में उनके विस्तार का काम करायेंगे तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

XXX - अंश को विलोपित किया गया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-07 नवम्बर, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-34 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक-08 नवम्बर, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट
बिहार सरकार
बिहार जाति आधारित गणना 2022-23
बिहार सरकार
विजय कुमार चौधरी
संसदीय कार्य मंत्री
का
वक्तव्य
बिहार जाति आधारित गणना
2022-23

बिहार जाति आधारित गणना, 2022–2023 पर
संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी का वक्तव्य

माननीय सदस्यगण,

- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार हमेशा से इस बात की पक्षधर रही है कि जातीय जनगणना करायी जाय ताकि सभी जातियों एवं वर्गों का प्रतिनिधित्व एवं उसकी आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो।
- बिहार विधान मंडल द्वारा जनगणना–2021 को जाति आधार पर कराने का प्रस्ताव दो बार दिनांक–18.02.2019 एवं दिनांक–27.02.2020 को पारित किया गया और भारत सरकार को अनुरोध भी भेजा गया।
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में दिनांक–23.08.2021 को सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर इस संबंध में अनुरोध भी किया। परंतु भारत सरकार ने इस संबंध में कोई सकारात्मक रूख नहीं दिखाया।
- बिहार जाति आधारित गणना अपने स्तर से कराने से पूर्व आम राय बनाने के उद्देश्य से दिनांक–01.06.2022 को विधान सभा के 9 दलों के नेताओं की बैठक आयोजित की गयी जिसमें यह निर्णय हुआ कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से ही राज्य में जाति आधारित गणना का कार्य कराये। इस आलोक में दिनांक–02.06.2022 के राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार

जाति आधारित गणना को दो चरणों में माह फरवरी, 2023 तक संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। पुनः तकनीकी आवश्यकताओं के कारण इस कार्य को मई, 2023 तक संपन्न कराने का लक्ष्य पुनर्निर्धारित किया गया।

- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–9077 दिनांक–06.06.2022 द्वारा इसका विधिवत शुभारम्भ किया गया, जिसके आलोक में इस कार्य को कराने की जिम्मेदारी राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी गयी। जिला स्तर पर राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को इसका नोडल पदाधिकारी बनाते हुए इस कार्य का संपूर्ण प्रभार इन्हें सौंपा गया।
- बिहार जाति आधारित गणना को डिजिटल मोड में भी कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रपत्र के माध्यम से भी सभी परिवार से आंकड़े संग्रहित किये गये। गृहमंत्री, भारत सरकार ने कहा है कि भारत सरकार जनगणना–2021 को देश की पहली डिजिटल जनगणना के रूप में करायेगी परंतु आज तक जनगणना–2021 का काम प्रारंभ नहीं हुआ है, जबकि बिहार सरकार ने डिजिटल माध्यम से गणना का काम सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है।
- राज्य सरकार ने यह गणना प्रशासनिक इकाईवार करायी है। जबकि जनगणना राजस्व इकाईवार करायी जाती है। इस गणना में पंचायत या नगर निकाय के वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के आंकड़े संग्रहित किए गए हैं, जिसका उपयोग सभी स्तरों

पर विकास के साथ–साथ स्थानीय चुनाव में आरक्षण निर्धारित करने में भी उपयोगी होगा।

- गणना की पूरी प्रक्रिया स्वैच्छिक थी और किसी भी व्यक्ति को बाध्य करके कोई सूचना नहीं ली गई हैं। सभी आंकड़े स्वघोषणा के आधार पर प्रत्येक परिवार से प्राप्त किया गया है और प्रपत्र पर परिवार के प्रधान या किसी सदस्य का हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान भी लिया गया है।
- प्रथम चरण के कार्य के लिए बिहार के राजपत्र में अधिसूचना निर्गत की गयी। सभी प्रमुख समाचार पत्रों द्वारा आमजनों को सूचित किया गया और अनुरोध किया गया कि वे इस प्रक्रिया में भाग लें। तदनुसार दिनांक–07.01.2023 से 21.01.2023 के बीच यह कार्य संपन्न हुआ।
- जाति आधारित गणना के प्रथम चरण के आंकड़ों के लिए एक बिहार जाति आधारित गणना पोर्टल बनाया गया एवं प्रथम चरण के सभी आंकड़ों को उस पर अपलोड किया गया । साथ ही बेल्ट्रॉन द्वारा इस कार्य हेतु एक विशेष मोबाइल ऐप (BIJAGA) तैयार किया गया।
- दिनांक–15.04.2023 से जाति आधारित गणना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार ने पुनः बिहार गजट में इसका प्रकाशन किया और सभी प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से आमजनों को इसकी जानकारी दी । यह अनुरोध भी किया गया कि सभी आमजन इस प्रक्रिया में भाग लें।

- द्वितीय चरण का कार्य दिनांक–15.04.2023 को प्रारंभ हुआ। यह कार्य तेजी से चल रहा था कि कुछ आवेदकों ने माननीय उच्च न्यायालय में कुल 13 मुकदमें समय–समय पर दाखिल किए जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक–04.05.2023 को जाति आधारित गणना पर स्थगन आदेश पारित किया। पर तब तक इसका अधिकांश कार्य पूरा हो चुका था।
- माननीय उच्च न्यायालय ने उपरोक्त वादों में दिनांक–04.07.2023 से विस्तृत सुनवाई प्रारंभ की और दिनांक–01.08.2023 को अंतिम आदेश निर्गत करते हुए सभी मामलों को खारिज कर दिया। इस प्रकार जाति आधारित गणना पर लगी रोक समाप्त हो गयी और राज्य सरकार ने पुनः इस कार्य को पूर्ण करने की कार्रवाई प्रारम्भ की।
- दिनांक 03.08.2023 और उसके उपरांत कुल 05 एस0एल0पी0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गये और उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गयी। इनमें गणना के कार्य पर तुरंत स्थगन लगाने का उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया गया। परंतु लगातार सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश नहीं देने की कृपा की और जाति आधारित गणना का कार्य पूर्ण कर लिया गया।
- उपरोक्त कार्य हेतु जिला स्तर के पदाधिकारियों, अनुमंडल स्तर के पदाधिकारियों, नगर निकाय स्तर के पदाधिकारियों, प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों एवं प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के लिए दोनो

चरणों के पूर्व लगभग एक महीने का लम्बा प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया। इस पूरी प्रक्रिया की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जिलाधिकारियों से लगातार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाती रही। पूरी प्रक्रिया में 83 वीडियो कांफ्रेंसिंग की गयी ताकि कार्य सटीक रूप से बिना त्रुटि के पूर्ण हो सके। पूरी प्रक्रिया में प्रमंडलीय आयुक्त के अतिरिक्त राज्य मुख्यालय स्तर से भी पदाधिकारियों द्वारा लगातार क्षेत्र भ्रमण किया गया।

➢ कार्य समाप्ति के उपरान्त् आंकड़ों की शुद्धता की जाँच के लिये कम्प्यूटर से पंचायत/वार्ड (नगर निकाय) स्तर पर 5 प्रतिशत रैंडम चुने गये इकाईयों की आंकड़ों की जाँच का सत्यापन दूसरे चार्ज के पदाधिकारियों से कराया गया जिसमें त्रुटि नगण्य पायी गयी। इस प्रकार राज्य सरकार ने आंकड़ों की शुद्धता और प्रामाणिकता के लिए भी कार्रवाई की।

➢ राज्य सरकार द्वारा संग्रहित किये गये आंकड़ों में से विभिन्न जातियों की संख्या से संबंधित आंकड़े 2 अक्टूबर, 2023 को जारी किये गये। तत्काल अगले ही दिन 03 अक्टूबर को फिर से 9 दलों के नेताओं की बैठक बुलाकर गणना के तरीकों एवं नतीजे के बारे में पूरी जानकारी दी गई। आज संबंधित आंकड़ें सदन पटल पर रख दिए गए हैं और उसकी एक प्रति आप सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराई गयी है। इन आंकड़ों में सभी परिवारों से लिए गए सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आंकड़ों को संकलित कर प्रस्तुत किया गया है।

- इस गणना में कुल 2,76,68,930 परिवारों द्वारा स्वेच्छा एवं स्वघोषणा के आधार पर आंकड़े दिये गये हैं जिसमें बिहारवासियों की कुल संख्या 13,07,25,310 पाई गयी है। इनमें से द्वितीय चरण की गणना अवधि में 53,72,022 व्यक्तियों के बिहार से बाहर रहने की सूचना प्राप्त हुई है। इस प्रकार बिहार की सीमा में रहने वालों की संख्या 12,53,53,288 पायी गयी है।
- एक महत्वपूर्ण विषय है कि बिहार में लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुष के अनुपात में महिलाओं की संख्या 918 से बढ़कर 953 हो गयी है जो राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिये लागू की गयी राज्य सरकार की योजनाओं का प्रतिफल है।
- बिहार के कुल लोगों का कोटिवार विवरणी भी प्रतिवेदन में दिया गया है जिसका अवलोकन किया जा सकता है।
- जनगणना, 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत प्रतिवेदित थी जो वर्त्तमान बिहार जाति आधारित गणना में साक्षरता दर बढ़कर 79.70 प्रतिशत हो गयी है। इस प्रकार कुल साक्षरता दर में लगभग 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20 प्रतिशत से बढकर 84.91 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 51.50 प्रतिशत से बढ़कर 73.91 प्रतिशत पायी गई। इस प्रकार महिलाओं की साक्षरता दर में 22.41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पुरूषों की साक्षरता दर में 13.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में भी अपेक्षित सुधार हुआ है। खासकर महिलाओं में और ज्यादा असर हुआ है। इसका सीधा असर राज्य

के जन्म दर पर पड़ा है जो आंकड़ों से स्पष्ट होता है। 2011 की जनगणना में छः वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या 1.92 करोड़ थी जो उस समय की जनसंख्या 10.40 करोड़ का 18.46 प्रतिशत थी जबकि बिहार जाति आधारित गणना में छः वर्ष के बच्चों की संख्या 1.78 करोड़ है जो वर्तमान आकलित संख्या 13.07 करोड़ का 13.6 प्रतिशत है। इस प्रकार पिछले दस वर्षों में कुल जन्म दर में कमी आयी है। यह राज्य में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाता है।

- राज्य सरकार का हमेशा यह प्रयास रहा है कि राज्य के सभी जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब लोगों को चिन्हित किया जाए ताकि उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इसमें उनकी आवासीय स्थिति, रोजगार उपलब्धता सहित अन्य मानकों के आधार पर परिवार के विभिन्न स्त्रोतों से कुल मासिक आय की भी सूचना संग्रहित की गई है। जिस परिवार की मासिक आय 6,000 रुपये या उससे कम पायी गई है उन्हें गरीब माना गया है। इस गणना में सभी जातियों के लगभग 34.13 प्रतिशत परिवार इस श्रेणी में पाये गये हैं।
- राज्य सरकार ने कार्यकलाप के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणी के मजदूरों का भी आंकड़ा प्राप्त किया है ताकि उन मजदूरों को सीधे लक्षित सामाजिक सुरक्षा एवं विकास की योजनाओं के लिये आंकड़े उपलब्ध हो सके।
- राज्य के सभी परिवारों की आवासीय स्थिति का सर्वेक्षण किया गया। यह हर्ष का विषय है कि राज्य में 59.13 प्रतिशत परिवार

पक्का मकान में रहते हैं जबकि आवासहीन परिवारों की संख्या 63,840 बची है।

- राज्य सरकार ने विकास की गुणवत्ता को मापने हेतु राज्य में कम्प्यूटर और लैपटॉप के उपयोग, इंटरनेट के उपयोग, विभिन्न प्रकार के वाहनों के उपयोग करने वालों का भी सर्वेक्षण किया है जिसका विस्तृत आंकड़ा प्रतिवेदन में दिया गया है।
- बिहारवासियों के अस्थायी प्रवासीय स्थिति का भी आकलन किया गया है। यह पाया गया है कि राज्य से बाहर अन्य राज्यों में करीब 46 लाख लोग रोजगार में हैं जबकि करीब 2,17,000 लोग अन्य देश में रोजगार के लिए हैं। इसी प्रकार 5.52 लाख लोग अन्य राज्य में शिक्षा ग्रहण करते पाये गयें जबकि 23,738 व्यक्ति अन्य देश में शिक्षा ग्रहण करते पाये गयें।
- अब उपरोक्त आंकड़ों का उपयोग राज्य सरकार सभी धर्मों एवं सभी जातियों के गरीब परिवारों के विकास के लिये करेगी जो सरकार के न्याय के साथ विकास के संकल्प को और आगे ले जाने में सहायक होगा।

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों से आप सभी अवगत हो चुके हैं। अब सभी दल के नेताओं से अनुरोध है कि इस संबंध में अपनी राय सदन में रखना चाहेंगे।

—×—

बिहार सरकार
BIHAR LEGISLATIVE ASSEMBLY
बिहार जाति आधारित गणना
2022-23